



# बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन

1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए



छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग  
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19, नवा रायपुर, अटल नगर (छत्तीसगढ़)




भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 (2) के अनुसार  
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का

## बीसवाँ वार्षिक प्रतिवेदन

(1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिये)

छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल को प्रस्तुत



## छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

श्री टामन सिंह सोनवानी

अध्यक्ष

(अवधि दिनांक 02/06/2020 से निरंतर)

श्री शिवनारायण पाण्डेय

सदस्य

(अवधि दिनांक 05/12/2014 से 04/12/2020 तक)

श्री सुकृत लाल साव

सदस्य


(अवधि दिनांक 22/05/2017 से निरंतर)

डॉ. मोतीलाल बाचकर

सदस्य

(अवधि दिनांक 05/10/2017 से निरंतर)

अध्यक्ष तथा सदस्यगणों के जीवनवृत्त का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट एक में दिया गया है।




## विषय सूची

**अध्यायों की सूची :-**

अध्याय क्रमांक	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	1
2.	उत्पत्ति एवं विकास	2-3
3.	लोक सेवा आयोग के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान	4-8
4.	आयोग की संरचना	9-10
5.	आयोग द्वारा जारी किए गए विज्ञापन	11
6.	ऑनलाइन आवेदन	12
7.	परीक्षा	13
8.	अंतिम चयन	14-15
9.	आयोग के कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग	16
10	भर्ती नियम, सेवा नियम	17
11	पदोन्नतियाँ	18-19
12	अनुशासनिक मामले	20
13	वित्त	21
14	न्यायालयीन प्रकरण	22
15	सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रकरणों के निराकरण की जानकारी	23-25
16	कृतज्ञता ज्ञापन	26

**परिशिष्टों की सूची :-**

परिशिष्ट	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	आयोग के माननीय अध्यक्ष तथा सदस्यों के जीवन वृत्तान्त।	27-30
2.	आयोग के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी दिनांक 31 / 03 / 2021 की स्थिति में	31-32
3.	अंतिम चयन	33-35
4.	सूचना प्रौद्योगिकी	36-40
5.	विभागीय भर्ती नियम में आयोग का अभिमत दिये जाने का विवरण	41-44
6.	विभागीय पदोन्नति समिति की आयोजित बैठकों का विवरण	45-51
7.	विभागीय जांच / अनुशासनिक कार्यवाही / अपील प्रकरणों का विवरण	52-70
8.	मांग संख्या 01, लेखा शीर्ष 2051 लोक सेवा आयोग, (102) राज्य लोक सेवा आयोग, (3689) राज्य लोक सेवा आयोग, आयोजनेत्तर, वित्तीय वर्ष 2020-21 (माह 01/04/2020 से 31/03/2021 तक) व्यय एवं समर्पण	71- 74



## अध्याय -एक

### प्रस्तावना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 (2) के अन्तर्गत आयोग का बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन माननीय राज्यपाल को प्रस्तुत है। इस प्रतिवेदन में वर्ष 2020–21 के लिए आयोग की मुख्य गतिविधियों का समावेश किया गया है। उक्त अवधि में आने वाले महत्वपूर्ण बिन्दुओं का उल्लेख करना प्रासंगिक है।

- प्रतिवेदित वर्ष में सीधी भर्ती के कुल 763 पदों के विरुद्ध 614 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची राज्य शासन के संबंधित विभागों को भेजी गई है।
- विभागीय पदोन्नति समिति के मामलों में प्रतिवेदनाधीन अवधि के दौरान आयोग को पदोन्नति प्रकरणों में शासन के लगभग सभी विभागों से पर्याप्त सहयोग प्राप्त हुआ है, जिसके फलस्वरूप उक्त अवधि में विभागीय पदोन्नति समिति की कुल 108 बैठकें आयोजित की गईं।
- वर्तमान आयोग कार्यालय जल संसाधन विभाग के पुराने विश्रामगृह में संचालित है। जगह की कमी से कार्यालय संचालन में कठिनाई है। नया रायपुर में आयोग कार्यालय हेतु सर्वसुविधायुक्त भवन निर्माण हेतु भूमि आबंटन पश्चात् तथा भवन निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति उपरान्त एन.आर.डी.ए. द्वारा भवन निर्माण का कार्य दिनांक 26.06.2018 से प्रारंभ हो चुका है। भवन निर्माण का कार्य आगामी दिसम्बर, 2021 में पूर्ण होना संभावित है।

मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी आयोग को शासन से अपेक्षित सहयोग प्राप्त होता रहेगा, जिससे कि अपेक्षाओं के अनुरूप आयोग अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए कार्यों में अधिक गुणवत्ता लाने की दिशा में सार्थक प्रयास कर सके।

सीनियर अधिकारी: नवा रायपुर, अटल नगर

दिनांक : 24 फरवरी 2022



(टारान सिंह सोनवानी)  
अध्यक्ष

## अध्याय -दो

### उत्पत्ति एवं विकास

लोक सेवा आयोगों के संस्थापन का आरंभ वर्ष 1919 में तत्कालीन अंग्रेजी शासकों द्वारा भारत के लिये स्वायत्त शासन की आवश्यकता के आधार पर किया गया है। 5 मार्च 1919 के भारतीय वैधानिक सुधार विषयक प्रथम प्रेषणा पत्र में कहा गया कि—

“अधिकतर राज्यों में, जहाँ स्वायत्त शासन की स्थापना हो चुकी हैं, इस बात की आवश्यकता अनुभूत की जाती है, कि सार्वजनिक सेवाओं को राजनीतिक प्रभावों से सुरक्षित रखना चाहिए और उसके हेतु एक ऐसा स्थायी कार्यालय स्थापित किया जावे, जो विविध सेवाओं का नियंत्रण करता हो। हम लोग इस समय भारत में ऐसे सार्वजनिक सेवा आयोग की स्थापना के लिये उद्यत नहीं हैं, परंतु हम देख रहे हैं, कि ये सेवाएँ, क्रम से, अधिकाधिक मंत्रियों के नियंत्रण में आती जाएँगी, जिसके कारण यह उचित है, कि इस प्रकार की स्वायत्त संस्था का आरंभ किया जाय।”

1919 के भारतीय शासन विधान में इस भावना की व्यावहारिक अभिव्यक्ति मिलती है। उसमें एक सार्वजनिक सेवा आयोग की स्थापना का विधान था, जिसकी सेवाओं के लिये पदाधिकारियों की भर्ती, भारत की सार्वजनिक सेवाओं का नियंत्रण तथा ऐसे अन्य कर्तव्य होंगे, जिनका निर्देश सपरिषद भारत सचिव करेंगे। परंतु उस आयोग की स्थापना तत्काल नहीं हुई। 1923 में, लॉर्ड ली के नेतृत्व में, एक रॉयल कमीशन नियुक्त हुआ, जिसको भारत उच्च सेवाओं के लिये विचार एवं विवरण प्रस्तुत करना था। उस कमीशन ने, अपने 27 मार्च 1924 के विवरण में, लोक सेवा आयोग की स्थापना की आवश्यकता पर विशेष बल दिया, जिसका 1919 के विधान में संकेत किया गया था। उसका प्रस्ताव था, कि उक्त आयोग के निम्नलिखित चार मुख्य कार्य होंगे।

1. सार्वजनिक सेवाओं के लिये कर्मचारियों की भर्ती।
2. सेवाओं में प्रविष्ट होने वाले व्यक्तियों की योग्यताओं का विधान तथा उचित मान स्थिर करना,
3. सेवाओं के अधिकारों की सुरक्षा करना तथा नियंत्रण एवं अनुशासन की व्यवस्था करना, जो लगभग न्यायविधान की कोटि का कार्य है।
4. सामान्य रूप से सेवा संबंधी समस्याओं पर परामर्श एवं अनुमति देना।

उक्त लोकसेवा आयोग की स्थापना 1926 के अक्टूबर मास में हुई। एक नियमावली बनाई गई, जिसमें इस बात का विधान था, कि अखिल भारत की प्रथम और द्वितीय श्रेणियों की सेवाओं के, उन प्रतियोगिता परीक्षाओं के पाठ्यक्रमों के निर्धारण, जिनके द्वारा कर्मचारियों का निर्वाचन हो, उक्त सेवाओं के लिये पदोन्नति, अनुशासनीय कार्य, वेतन, भत्ते, पेंशन, प्रॉविडेंट फंड एवं पारिवारिक पेंशन विषय आदि मामलों में सरकार उससे परामर्श ले। किसी वर्ग विशेष या सभी सेवाओं के नियमाधार तथा छुट्टी आदि के नियमों के प्रश्नों पर भी सरकार उक्त आयोग से परामर्श करेगी।

उक्त नियमावली में आयोग के लिये जो नियम निर्दिष्ट किए गए थे, उनका सुधार तथा स्थायीकरण उसी श्वेतपत्र के द्वारा हुआ, जिसमें वैधानिक सुधारों के लिये ऐसे प्रस्ताव थे, जिनके अनुसार प्रत्येक राज्यों के लिये भी आयोगों की स्थापना करने का विधान था। उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की व्यवस्था करना, जिनके द्वारा पदाधिकारियों का चुनाव हो, केंद्रीय तथा राज्यों के आयोगों का कर्तव्य बतलाया गया। सरकार को आयोगों से इसका भी परामर्श करना था, कि सेवाओं के लिये, किस प्रकार चुनाव के द्वारा नियुक्ति हो, पदोन्नति कैसे किए जाएँ, एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरण कैसे किए जाएँ, आदि। उक्त श्वेतपत्र में यह प्रस्ताव भी किया गया था, कि सरकार को आयोगों से भिन्न विषयों पर भी परामर्श लेना चाहिए।

1935 के भारतीय विधान के परिच्छेद 266 में, उपर्युक्त प्रस्तावों को स्थायी रूप दिया गया। उसमें लोक सेवा आयोगों के कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दिया गया। यह कहा जा सकता है, कि उक्त विधान के द्वारा ही आयोगों की अंतिम एवं स्थायी रूप में रचना की गई थी। आज के केंद्रीय अथवा राज्यों के आयोग का संगठन, रूप एवं आधार, सब उसी पर अवलंबित हैं।

स्वतंत्रता के बाद, संविधान सभा ने अनुभव किया, कि सिविल सेवाओं में निष्पक्ष भर्ती सुनिश्चित करने के साथ ही सेवा हितों की रक्षा के लिए संघीय एवं प्रांतीय, दोनों स्तरों पर लोक सेवा आयोगों को एक सुदृढ़ और स्वायत्त स्थिति प्रदान करने की आवश्यकता है, तदानुसार केन्द्र तथा राज्यों में पृथक—पृथक लोक सेवा आयोग गठन करने का संवैधानिक प्रावधान किया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवम्बर 2000 को हुआ तथा उक्त संवैधानिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 23 मई 2001 को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 315(1) के उपबंधों के अधीन किया गया है।

## अध्याय - तीन

### लोक सेवा आयोग के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान

**लोक सेवा आयोग गठन के संबंध में भारत के संविधान के प्रावधान इस प्रकार है :-**

#### **अनु. 315. संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग:-**

इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा।

#### **अनु. 316. सदस्यों की नियुक्ति तथा पदावधि :-**

लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति, यदि वह संघ आयोग या संयुक्त आयोग है तो, राष्ट्रपति द्वारा और, यदि वह राज्य आयोग है तो, राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी:

परन्तु प्रत्येक लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से यथाशक्य निकटतम आधे ऐसे व्यक्ति होंगे, जो अपनी—अपनी नियुक्ति की तारीख पर भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन कम से कम दस वर्ष तक पद धारण कर चुके हैं और उक्त दस वर्ष की अवधि की संगणना करने में इस संविधान के प्रारंभ से पहले की ऐसी अवधि भी सम्मिलित की जाएगी, जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने भारत के क्राउन के अधीन या किसी देशी राज्य की सरकार के अधीन पद धारण किया है।

(क) यदि आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है या यदि कोई ऐसा अध्यक्ष अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तो यथास्थिति, जब तक रिक्त पद पर खंड (1) के अधीन नियुक्ति कोई व्यक्ति उस पद का कर्तव्य भार ग्रहण नहीं कर लेता है या जब तक अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को फिर से नहीं संभाल लेता है, तब तक आयोग के अन्य सदस्यों में से ऐसा एक सदस्य, जिसे संघ आयोग या संयुक्त आयोग की दशा में राष्ट्रपति और राज्य आयोग की दशा में उस राज्य का राज्यपाल इस प्रयोजन के लिए नियुक्ति करें, उन कर्तव्यों का पालन करेगा।

(2) लोक सेवा आयोग का सदस्य, अपने पद ग्रहण की तारीख से छह वर्ष की अवधि तक या संघ आयोग की दशा में पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक और राज्य आयोग या संयुक्त आयोग की दशा में बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपना पद धारण करेगा:

परंतु—

(क) लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य, संघ आयोग या संयुक्त आयोग की दशा में राष्ट्रपति को और राज्य आयोग की दशा में राज्य के राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।

(ख) लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को अनुच्छेद 317 के खंड (1) या खंड (3) में उपबंधित रीति से उसके पद से हटाया जा सकेगा।

- (ग) कोई व्यक्ति, जो लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है, अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

### अनु. 317. लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना:-

- (1) खंड (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर किए गए राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा, जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर उस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन इस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच पर, यह प्रतिवेदन किए जाने के पश्चात् किया गया है, कि यथास्थिति, अध्यक्ष या ऐसे किसी सदस्य को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाए।
- (2) आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को, जिसके संबंध में खंड (1) के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है, संघ आयोग या संयुक्त आयोग की दशा में राष्ट्रपति और राज्य आयोग की दशा में राज्यपाल उसके पद से तब तक के लिए निलंबित कर सकेगा, जब तक राष्ट्रपति ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय का प्रतिवेदन मिलने पर अपना आदेश पारित नहीं कर देता है।

### (3) खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि लोक सेवा आयोग का, यथास्थिति, अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य-

- (क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है, या
- (ख) अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगाता है, या
- (ग) राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक शैयिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है, तो राष्ट्रपति, अध्यक्ष या ऐसे अन्य सदस्य को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा।
- (4) यदि लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य, निगमित कंपनी के सदस्य के रूप में और कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से अन्यथा, उस संविदा या करार से, जो भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा या निमित्त की गई या किया गया है, किसी प्रकार से संपृक्त या हितबद्ध है या हो जाता है या उसके लाभ या उससे उद्भूत किसी फायदे या उपलब्धि में भाग लेता है, तो वह खंड (1) के प्रयोजनों के लिए कदाचार का दोषी समझा जाएगा।

### अनु. 318. आयोग के सदस्यों और कर्मचारीवृंद की सेवा और शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति:-

संघ आयोग या संयुक्त आयोग की दशा में राष्ट्रपति और राज्य आयोग की दशा में उस राज्य का राज्यपाल विनियमों द्वारा—

- (क) आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तों का अवधारण कर सकेगा; और
- (ख) आयोग के कर्मचारीवृंद के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों के संबंध में उपबंध कर सकेगा :

परंतु लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

### अनु. 319. आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध- पद पर न रह जाने पर-

- (क) संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन का पात्र नहीं होगा ;
- (ख) किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में अथवा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति होने का पात्र होगा, किन्तु भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा ;
- (ग) संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से भिन्न कोई अन्य सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में या किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, किन्तु भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा ;
- (घ) किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से भिन्न कोई अन्य सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के रूप में अथवा उसी या किसी अन्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, किन्तु भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा ;

### अनु. 320 लोक सेवा आयोगों के कृत्य :-

- (1) संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों का यह कर्तव्य होगा, कि वे क्रमशः संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करें।
- (2) यदि संघ लोक सेवा आयोग से कोई दो या अधिक राज्य ऐसा करने का अनुरोध करते हैं, तो उसका यह कर्तव्य होगा, कि वह ऐसी किन्हीं सेवाओं के लिए, जिनके लिए विशेष अर्हताओं वाले अभ्यर्थी अपेक्षित हैं, संयुक्त भर्ती की स्कीमे बनाने और उनका प्रवर्तन करने में उन राज्यों की सहायता करें।
- (3) यथास्थिति, संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग से –
  - (क) सिविल सेवाओं में और सिविल पदों के लिए भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी विषयों पर,
  - (ख) सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने में तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में प्रोन्नति और अंतरण करने में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर और ऐसी नियुक्ति, प्रोन्नति या अंतरण के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर,
  - (ग) ऐसे व्यक्ति पर, जो भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार की सिविल हैसियत में सेवा कर रहा है, प्रभाव डालने वाले, सभी अनुशासनिक विषयों पर, जिनके अंतर्गत ऐसे विषयों से संबंधित अभ्यावेदन या याचिकाएं हैं,

- (घ) ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसके संबंध में, जो भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन या भारत में क्राउन के अधीन या किसी देशी राज्य की सरकार के अधीन सिविल हैसियत में सेवा कर रहा है या कर चुका है, इस दावे पर कि अपने कर्तव्य के निष्पादन में किए गए या किए जाने के लिए तात्पर्यित कार्यों के संबंध में उसके विरुद्ध संस्थित विधिक कार्यवाहियों की प्रतिरक्षा में उसके द्वारा उपगत खर्च का यथास्थिति, भारत की संचित निधि में से या राज्य की संचित निधि में से संदाय किया जाना चाहिए,
- (ङ.) भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार या भारत में क्राउन के अधीन या किसी देशी राज्य की सरकार के अधीन सिविल हैसियत में सेवा करते समय किसी व्यक्ति को हुई क्षतियों के बारे में पेंशन अनिर्णीत किए जाने के लिए किसी दावे पर और ऐसे अधिनिर्णय की रकम विषयक प्रश्न पर, परामर्श किया जाएगा और इस प्रकार उसे निर्देशित किए गए किसी विषय पर तथा ऐसे किसी अन्य विषय पर, जिसे यथास्थिति, राष्ट्रपति या उस राज्य का राज्यपाल उसे निर्देशित करे, परामर्श देने का लोक सेवा आयोग का कर्तव्य होगा :

परंतु अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में तथा संघ के कार्यकलाप से संबंधित अन्य सेवाओं और पदों के संबंध में भी राष्ट्रपति तथा राज्य के कार्यकलाप से संबंधित अन्य सेवाओं और पदों के संबंध में राज्यपाल उन विषयों को विनिर्दिष्ट करने वाले विनियम बना सकेगा, जिनमें साधारणतया या किसी विशिष्ट वर्ग के मामले में या किन्ही विशिष्ट परिस्थितियों में लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक नहीं होगा।

- (4) खंड (3) की किसी बात से यह अपेक्षा नहीं होगी, कि लोक सेवा आयोग से उस रीति के संबंध में, जिससे अनुच्छेद 16 के खंड (4) में निर्दिष्ट कोई उपबंध किया जाना है या उस रीति के संबंध में, जिससे अनुच्छेद 335 के उपबंधों को प्रभावी किया जाना है, परामर्श किया जाए।
- (5) राष्ट्रपति या किसी राज्यपाल द्वारा खंड (3) के परंतुक के अधीन बनाए गए सभी विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, यथास्थिति, संसद के प्रत्येक सदन या राज्य के विधान—मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के समक्ष कम से कम चौदह दिन के लिए रखे जाएंगे और निरसन या संशोधन द्वारा किए गए ऐसे उपांतरणों के अधीन होंगे, जो संसद के दोनों सदन या उस राज्य के विधान—मंडल का सदन या दोनों सदन उस सत्र में करें जिसमें वे इस प्रकार रखे गए हैं।

## अनु. 321 लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति :-

यथास्थिति, संसद द्वारा या किसी राज्य के विधान—मंडल द्वारा बनाया गया कोई अधिनियम संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा संघ की या राज्य की सेवाओं के संबंध में और किसी स्थानीय प्राधिकारी या विधि द्वारा गठित अन्य निगमित निकाय या किसी लोक संस्था की सेवाओं के संबंध में भी अतिरिक्त कृत्यों के प्रयोग के लिए उपबंध कर सकेगा।

### अनु. 322 लोक सेवा आयोगों के व्यय-

संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय, जिनके अंतर्गत आयोग के सदस्यों या कर्मचारिवृंद को या उनके संबंध में संदेय कोई वेतन, भत्ते और पेंशन हैं, यथास्थिति, भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे।

### अनु. 323 लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन-

राज्य आयोग का यह कर्तव्य होगा, कि वह राज्य के राज्यपाल को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे और संयुक्त आयोग का यह कर्तव्य होगा, कि ऐसे राज्यों में से प्रत्येक के, जिनकी आवश्यकताओं की पूर्ति संयुक्त आयोग द्वारा की जाती है, राज्यपाल को उस राज्य के संबंध में आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे और दोनों में से प्रत्येक दशा में ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, राज्यपाल उन मामलों के संबंध में, यदि कोई हों, जिनमें आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई है, ऐसी अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित उस प्रतिवेदन की प्रति राज्य के विधान—मंडल के समक्ष रखवाएगा।

## अध्याय -चार

### आयोग की संरचना

**छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का गठन दिनांक 23.05.2001 को किया गया है।**

आयोग, संविधान के अनुच्छेद 320 के अंतर्गत राज्य शासन के अधीन विभिन्न सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चयन करता है। इसके अतिरिक्त राज्य शासन के विभिन्न विभागों में पदोन्नति के रिक्त पदों के लिए ‘पदोन्नति समिति’ की बैठकें आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों की अध्यक्षता में की जाती है तथा विभागों के भर्ती नियमों एवं अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरणों में राज्य शासन को परामर्श दिया जाता है।

**आयोग में पदस्थ अध्यक्ष तथा सदस्यों के संदर्भ में विवरण निम्नवत है :-**

नाम	पदनाम	कार्यकाल
श्री टामन सिंह सोनवानी	अध्यक्ष	दिनांक 02.06.2020 से निरंतर
श्री सुकृत लाल साव	सदस्य	दिनांक 22.05.2017 से निरंतर
डॉ. मोतीलाल बाचकर	सदस्य	दिनांक 05.10.2017 से निरंतर

**आयोग में निम्नानुसार अधिकारी पदस्थ रहे हैं :-**

क्र.	नाम	पदनाम	कार्यभार ग्रहण दिनांक
1	श्री जीवन किशोर ध्रुव (भा.प्र.से.)	सचिव	दिनांक 06.10.2020 से निरंतर
2	श्रीमती आरती वासनिक (रा.प्र.से.)	परीक्षा नियंत्रक	दिनांक 12.02.2019 से निरंतर
3	श्री जे.एस. गोंड	अवर सचिव	दिनांक 25.06.2005 से निरंतर
4	श्री आर.के. ध्रुव	अवर सचिव	दिनांक 08.10.2015 से निरंतर

आयोग हेतु स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों एवं रिक्त पदों की जानकारी “परिशिष्ट-दो” में दी गई है।

#### **आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की व्यवस्था**

राज्य शासन ने आयोग में 05 संवैधानिक पद (01 अध्यक्ष, 04 सदस्य) सहित कुल 164 अधिकारियों व कर्मचारियों की पद संरचना स्वीकृत किया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के गठन के पश्चात् प्रतिनियुक्ति के अधिकांश पदों पर राज्य परिवहन निगम के कर्मचारी आयोग में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए। साथ ही राज्य शासन द्वारा आयोग हेतु सांख्यिकी अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) का एक पद सीधी भर्ती से भरे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त विधि अधिकारी का एक पद सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु स्वीकृत है।

प्रतिवेदनाधीन अवधि में आयोग के अंतर्गत स्वीकृत कुल पद संख्या 164 के विरुद्ध 110 अधिकारी / कर्मचारी कार्यरत हैं। कुछ पदों पर प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी एवं कर्मचारी पदस्थ किये गये हैं।

आयोग कार्यालय में कुल 164 पद स्वीकृत हैं जिसके विरुद्ध माननीय अध्यक्ष 01, माननीय सदस्य 04 संवैधानिक पद हैं। शेष पद आयोग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वृन्द के लिए स्वीकृत हैं जिनका श्रेणीवार विवरण निम्नवत हैः—

क्रमांक	श्रेणी	अधिकारी / कर्मचारियों की स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत अधिकारीयों / कर्मचारियों की संख्या
1.	प्रथम श्रेणी	17	10
2.	द्वितीय श्रेणी	15	07
3.	तृतीय श्रेणी	95	69
4.	चतुर्थ श्रेणी	37	24
	योग	<b>164</b>	<b>110</b>

**सीधी भर्ती/पदोन्नति से भरे गये पद दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक**

क्र.	सीधी भर्ती / पदोन्नति से भरे पद का नाम	पदों की संख्या
1	शीघ्रलेखक ग्रेड-03 (सीधी भर्ती)	02
2	स्टेनाटायपिस्ट ग्रेड-03 (सीधी भर्ती)	02
3	सहायक ग्रेड-03 (सीधी भर्ती)	11
4	भूत्य से सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नति	07

## अध्याय - पांच

### आयोग द्वारा जारी किए गए विज्ञापन

आयोग को वर्ष 2020-21 में राज्य शासन के विभिन्न विभागों से सिविल सेवाओं एवं पदों पर भर्ती हेतु प्राप्त मांग-पत्रों एवं आयोग द्वारा इसके परीक्षण उपरांत जारी विज्ञापनों का विवरण निम्नानुसार हैः-

स.क्र.	विज्ञापन क्र. एवं जारी तिथि	पदनाम / विभाग का नाम	विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि	कुल पद
1	2	3	4	5	6
1	06/2020/Exam Dt. 04/06/2020	सहायक संचालक कृषि (कृषि विभाग)	10/06/2020	14/07/2020	<b>25</b>
2	07/2020/Exam Dt. 04/06/2020	1. सहायक वन संरक्षक बैकलॉग 2. वन क्षेत्रपाल (वन विभाग)	10/06/2020	15/07/2020	<b>19 02 157</b>
3	08/2020/Exam Dt. 20/08/2020	सहायक संचालक जन संपर्क, अंग्रेजी माध्यम (जन संपर्क विभाग)	26/08/2020	26/09/2020	<b>05</b>
4	09/2020/Exam Dt. 26/11/2020	राज्य सेवा परीक्षा-2020	02/12/2020	12/01/2021	<b>143</b>
5	10/2020/Exam Dt. 17/12/2020	कुल सचिव उप कुल सचिव बैकलॉग सहायक कुलसचिव (उच्च शिक्षा विभाग)	23/12/2020	27/01/2020	<b>02 06 02 02</b>
6	01/2021/Exam Dt. 24/03/2021	सहायक प्राध्यापक चिकित्सा महाविद्यालय (चिकित्सा शिक्षा विभाग)	31/03/2021	01/05/2021	<b>140</b>

## अध्याय - छः

### ऑनलाइन आवेदन

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित पदों हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात नियत समय के लिए अभ्यर्थियों को एक बार के लिए त्रुटि सुधार का अवसर प्रदान किया जाता है। वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा समर्त आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किए गए। आमंत्रित किए गए ऑनलाइन आवेदनों का श्रेणीवार विवरण इस प्रकार है।

स.क्र	विभाग का नाम	पद का नाम	कुल पद	कुल आवेदन	अना.	अजा	अजजा	अपिव
1	विधि एवं विधायी कार्य विभाग	व्यवहार न्यायाधीश मुख्य परीक्षा-2019	39	387	137	49	131	69
2	उच्च शिक्षा विभाग	सहायक प्राध्यापक-2019	1384	24748	-	-	-	-
3	विधि एवं विधायी कार्य विभाग	व्यवहार न्यायाधीश प्रारंभिक परीक्षा-2020	32	12799	11227	401	374	797
4	जनसंपर्क विभाग	सहायक संचालक जनसंपर्क, अंग्रेजी माध्यम-2020	5	207	139	12	14	42
5	जल संसाधन विभाग	सहायक भू-जल विद्/सहायक भू-भौतिक विद्/सहायक रसायन विद्-2020	7	757	403	54	63	237
6	श्रम विभाग	बीमा चिकित्सा पदाधिकारी	52	525	270	66	65	124
7	कृषि विभाग	सहायक संचालक, कृषि-2020	25	2561	871	331	505	854
8	विभिन्न विभाग	राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा-2020	89	20859	12161	1604	1908	5186
9	विभिन्न विभाग	राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2020	143	115989	26706	17840	27068	44359
10	विभिन्न विभाग	राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2019	242	3756	483	560	1260	1274
11	विधि एवं विधायी कार्य विभाग	व्यवहार न्यायाधीश मुख्य परीक्षा-2020	32	340	128	43	103	66

## अध्याय - सात

### परीक्षा

आयोग द्वारा किसी पद विशेष की भरती की कार्यवाही के दौरान उम्मीदवारों की संख्या को ध्यान में रखकर 2 तरह से परीक्षा लिया जाता है। यदि उम्मीदवारों की संख्या अधिकतम 10000 तक है तथा प्रश्न बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार का है, तो परीक्षा ऑनलाईन ली जाती है तथा यदि उम्मीदवारों की संख्या 10000 से ज्यादा है या प्रश्न विवरणात्मक स्वरूप का है तो ऑफलाईन परीक्षा ली जाती है। प्रतिवेदित अवधि में उपरोक्त दोनों पद्धति से आयोजित परीक्षाओं का विवरण इस प्रकार है : –

#### (1) ऑफलाईन परीक्षा : -

वर्ष 2020-21 में आयोजित ऑफलाइन/मैन्युवल परीक्षाओं का विवरण इस प्रकार है-

स.क्र.	पद का नाम	रिक्त पद	आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	ऑफ लाईन परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या
1	व्यवहार न्यायाधीश मुख्य परीक्षा–2019	39	387	368
2	सहायक प्राध्यापक–2019	1384	24748	11445
3	व्यवहार न्यायाधीश प्रारंभिक परीक्षा–2020	32	12799	5029
4	सहायक संचालक जनसंपर्क, अंग्रेजी माध्यम–2020	5	207	143
5	सहायक भू-जल विद्/ सहायक भू-भौतिक विद्/सहायक रसायन विद्–2020	7	757	365
6	बीमा चिकित्सा पदाधिकारी	52	525	261
7	सहायक संचालक, कृषि–2020	25	2561	1920
8	राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा–2020	89	20859	11001
9	राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा–2020	143	115989	99464
10	राज्य सेवा मुख्य परीक्षा–2019	242	3756	3327
11	व्यवहार न्यायाधीश मुख्य परीक्षा–2020	32	340	337

आयोग की वेबसाइट पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अंतिम चयनित अभ्यर्थियों एवं लिखित परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अंक एवं साक्षात्कार के अंक आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं।

## अध्याय - आठ

### अंतिम चयन

**आयोग द्वारा 01.04.2020 से 31.03.2021 तक चयन शाखा द्वारा की गई चयन की कार्यवाही की जानकारी  
निम्नानुसार है:-**

क्र.	विज्ञापन क्रमांक	विभाग का नाम	पद का नाम	पद संख्या	चयन सूची जारी होने की तिथि	मुख्य सूची में चयनित आवेदकों की संख्या	चयनित आवेदकों की अनुशंसा हेतु पत्र शासन को भेजने की तिथि
1	विज्ञापन क्र. 01 / 2009 / परीक्षा / दिनांक 15.05.2009 रोजगार नियोजन में प्रकाशन दिनांक 20.05.2009	उच्च शिक्षा विभाग	सहायक प्राध्यापक, भूगोल	14	30.05.2020	14	04.06.2020
2	विज्ञापन क्र. 05 / 2019 / परीक्षा / दिनांक 02.03.2019 रोजगार नियोजन में प्रकाशन दिनांक 06.03.2019 एवं शुद्धि पत्र क्र. 11 / 2019 / परीक्षा / दिनांक 21.08.2019	उच्च शिक्षा विभाग	ग्रंथपाल	56	12.09.2020	40	29.09.2020
3	विज्ञापन क्र. 05 / 2019 / परीक्षा / दिनांक 02.03.2019 रोजगार नियोजन में प्रकाशन दिनांक 06.03.2019 एवं शुद्धि पत्र क्र. 10 / 2019 / परीक्षा / दिनांक 27.07.2019	उच्च शिक्षा विभाग	क्रीड़ा अधिकारी	61	18.09.2020	55	05.10.2020
4	विज्ञापन क्र. 03 / 2019 / परीक्षा / दिनांक 01.02.2019 रोजगार नियोजन में प्रकाशन दिनांक 06.02.2019	विधि एवं विधायी कार्य विभाग	व्यवहार न्यायाधीश 2019	39	07.11.2020	39	13.11.2020
5	विज्ञापन क्र. 04 / 2020 / परीक्षा / दिनांक 12.02.2020 रोजगार नियोजन में प्रकाशन दिनांक 19.02.2020	पशुधन विकास विभाग	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	162	30.12.2020	94	07.01.2021
6	विज्ञापन क्र. 08 / 2020 / परीक्षा / दिनांक 20.08.2020 रोजगार नियोजन में प्रकाशन दिनांक 26.08.2020	जनसंपर्क विभाग	सहायक संचालक जनसंपर्क अंग्रेजी माध्यम	5	22.01.2021	4	28.01.2021
7	विज्ञापन क्र. 03 / 2020 / परीक्षा / दिनांक 07.02.2020 रोजगार नियोजन में प्रकाशन दिनांक 12.02.2020	जल संसाधन विभाग	1 सहायक भू-जल विद सहायक भू-विद	5	04.02.2021	5	18.02.2021
			2 सहायक भू-भौतिक विद	1		1	
			3 सहायक भू-रसायन विद	1		1	

8	विज्ञापन क्र. 05 / 2020 / परीक्षा / दिनांक 02.03.2020 रोजगार नियोजन में प्रकाशन दिनांक 11.03.2020	श्रम विभाग	बीमा चिकित्सा पदाधिकारी	52	04.02.2021	47	18.02.2021
9	विज्ञापन क्र. 06 / 2020 / परीक्षा / दिनांक 04.06.2020 रोजगार नियोजन में प्रकाशन दिनांक 10.06.2020	कृषि विभाग	सहायक संचालक कृषि	25	06.02.2021	25	प्रक्रियाधीन
10	विज्ञापन क्र. 01 / 2018 / परीक्षा / दिनांक 11.01.2018 रोजगार नियोजन में प्रकाशन दिनांक 17.01.2018	छ.ग. लोक सेवा आयोग	1 शीघ्रलेखक ग्रेड 03	2	04.03.2021	2	आयोग कार्यालय हेतु सीधी भर्ती।
			2 स्टेनोटायपिस्ट	3		3	
			3 सहायक ग्रेड 03	15		15	
11	विज्ञापन क्र. 07 / 2015 / परीक्षा / दिनांक 31.10.2015 रोजगार नियोजन में प्रकाशन दिनांक 04.11.2015	छ.ग. लोक सेवा आयोग	सहायक ग्रेड 03 (निःशक्तजन बैकलॉग)	1	04.03.2021	1	
12	विज्ञापन क्र. 02 / 2019 / परीक्षा / दिनांक 18.01.2019 रोजगार नियोजन में प्रकाशन दिनांक 23.01.2019 शुद्धि पत्र क्र. 04 / 2019 / परीक्षा / दिनांक 01.02.2019, 07 / 2019 / परीक्षा / दिनांक 23.02.2019, 12 / 2019 / परीक्षा / दिनांक 23.11.2019, 02 / 2020 / परीक्षा / दिनांक 11.02.2020 एवं 01 / 2021 / परीक्षा / दिनांक 08.01.2021	उच्च शिक्षा विभाग	सहायक प्राध्यापक, संस्कृत	5	09.02.2021	5	18.02.2021
			सहायक प्राध्यापक, वानिकी	1	10.02.2021	1	18.02.2021
			सहायक प्राध्यापक, बायोकेमेस्ट्री	1	10.02.2021	1	18.02.2021
			सहायक प्राध्यापक, माइक्रो बायोलॉजी	8	10.02.2021	8	18.02.2021
			सहायक प्राध्यापक, विधि	32	10.02.2021	20	18.02.2021
			सहायक प्राध्यापक, बायो टेक्नोलॉजी	6	10.02.2021	6	18.02.2021
			सहायक प्राध्यापक, भू-गर्भशास्त्र	5	10.02.2021	3	18.02.2021
			सहायक प्राध्यापक, मनोविज्ञान	8	11.02.2021	8	18.02.2021
			सहायक प्राध्यापक, हिन्दी	50	25.02.2021	50	08.03.2021
			सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र	36	27.02.2021	35	08.03.2021
			सहायक प्राध्यापक, गृह विज्ञान	9	02.03.2021	9	08.03.2021
			सहायक प्राध्यापक, गणित	99	04.03.2021	62	16.03.2021
			सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र	61	26.03.2021	60	06.04.2021

(विवरण परिशिष्ट-तीन में प्रदर्शित)

## अध्याय - नौ

# आयोग के कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग

1. आयोग द्वारा विज्ञापित प्रत्येक पद हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाते हैं। हस्तलिखित आवेदन पत्र प्रणाली पूर्णतः बंद कर दी गई है।
2. आयोग के अधिकांश परीक्षा / चयन संबंधी कार्यों को कम्प्यूटरीकृत करने का प्रयास किया गया है।
3. विज्ञापनों में अभ्यर्थियों द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदनों की वर्गवार एवं जिलेवार जानकारी के आधार पर परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण एवं बैठक व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है।
4. आवेदित अभ्यर्थियों की संख्या दस हजार या उससे कम होती है, उन सभी परीक्षाओं को ऑनलाइन लिया जाता है।
5. आवेदित अभ्यर्थियों की संख्या दस हजार से अधिक अथवा परीक्षा विवरणात्मक होती है, उन परीक्षाओं को ऑफलाइन लिया जाता है। ऑफलाइन (मैन्युवल) परीक्षाओं हेतु ओ.एम.आर. उत्तरपुस्तिका एवं मुख्य परीक्षा हेतु ओ.एम.आर. प्रश्न सह— उत्तर पुस्तिका का प्रयोग किया जाता है।
6. प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित (ऑनलाइन / ऑफलाइन) परीक्षा के बाद आयोग द्वारा मॉडल उत्तर जारी कर अभ्यर्थियों से ऑनलाइन दावा आपत्ति आमंत्रित की जाती है।
7. सॉफ्टवेयर के माध्यम से साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों हेतु साक्षात्कार बोर्ड का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाता है।
8. राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से पदों की अग्रमान्यता ऑनलाइन प्राप्त की जाती है। अभ्यर्थियों को राज्य सेवा परीक्षा में अपने पदों की अग्रमान्यता ऑनलाइन भरने के पश्चात्, प्राप्त कम्प्यूटराईज्ड पावती को साक्षात्कार के समय जांच दल के समक्ष प्रस्तुत करना होता है।
9. कम्प्यूटराईज्ड अंक सूची की सुविधा अभ्यर्थियों को दी जाती है।

(विवरण परिशिष्ट-चार में दर्शित)


## अध्याय - दस

### सेवा भर्ती नियम

वर्ष 2020–21 में नये भर्ती नियम बनाने/संशोधन किये जाने के संबंध में शासन के विभिन्न विभागों के 16 प्रकरणों पर आयोग द्वारा अभिमत/सहमति दी गई। पिछले दो वर्षों में भर्ती नियम बनाने/संशोधन के मामलों में आयोग द्वारा निराकृत प्रकरणों की तुलनात्मक स्थिति (आरेख 11.1) में दर्शायी गई है।

(विवरण परिशिष्ट-पाँच में दर्शित)

#### विभागीय भर्ती नियम/ संशोधन के प्रस्तावों पर आयोग द्वारा निराकृत प्रकरणों का तुलनात्मक विवरण



आरेख 11.1


## अध्याय - ग्यारह

### पदोन्नतियाँ

वर्ष 2020-21 दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक की अवधि में शासन के विभिन्न विभागों के विभिन्न रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की कुल **108** बैठकें आयोजित की गईं। उक्त बैठकों में कुल **2216** अधिकारियों/कर्मचारियों के नामों पर पदोन्नति हेतु विचार किया गया तथा **1225** अधिकारियों/कर्मचारियों की पदोन्नति की अनुशंसा की गई (आरेख 12.1)।

#### कुल पदोन्नति


विचारित	2216
अनुशंसित	1225



#### आरेख 12.1

आयोग में आयोजित पदोन्नति समिति की बैठकों में प्रथम श्रेणी से प्रथम श्रेणी हेतु **249**, द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी हेतु **232**, द्वितीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी हेतु **147**, तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी हेतु **597** अधिकारियों की पदोन्नति की अनुशंसा की गई है। (आरेख 12.2)

अधिकारियों की सख्ता	प्रथम श्रेणी से प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी	योग
विचारित	403	400	287	1126	2216
अनुशंसित	<b>249</b>	232	147	597	1225



आरेख 12.2

माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में लंबित प्रकरण W.P. (PIL) No. 91/2019 (S) में पारित अंतर्मि आदेश दिनांक 09.12.2019 एवं दिनांक 08.01.2020 के परिपालन में वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की कार्यवाही की जा रही है।

विभागीय पदोन्नति के प्रस्तावों के निराकरण में प्रतिवेदन अवधि में सुधार हुआ है एवं शासन के विभिन्न विभागों के सहयोग से अधिकांश प्रकरणों में समय—सीमा के अंतर्गत ही पदोन्नति समिति की बैठकें संपन्न हुई हैं। विभागीय पदोन्नति के लिये प्रपत्र एवं चेकलिस्ट निर्धारित है, किन्तु अनेक विभागों द्वारा चेक लिस्ट के अनुसार प्रस्ताव आयोग को नहीं भेजे जाने से समिति की बैठक आयोजित करने में विलंब होता है। विभागों द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक से संबंधित आवश्यक अभिलेख, प्रमाण पत्र, वार्षिक गोपनीय चरित्रावलियों की उपलब्धता की जानकारी आदि आयोग को प्रस्ताव के साथ ही भेजे जाने चाहिये। पदोन्नति समिति की बैठकों के आयोजन में मुख्य बाधा वांछित गोपनीय प्रतिवेदनों की अनुपलब्धता, वरिष्ठता संबंधी विवादों/अभ्यावेदनों का निराकरण नहीं हो पाने से उत्पन्न होती हैं।

**(पदवार पदोन्नति विवरण परिशिष्ट-छ: में दर्शित)**


## अध्याय - बारह

### अनुशासनिक मामले

भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 (2) के तहत ऐसे मामलों के संबंध में, यदि कोई हो, जिनमें आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई थी, ऐसी अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित उस प्रतिवेदन की प्रति राज्य के विधानमण्डल के समक्ष रखा जाना है।

वर्ष 2020-21 के दौरान आयोग को भारत के संविधान के अनुच्छेद 320(3)(ग) के अंतर्गत प्राप्त हुए 69 प्रकरणों पर आयोग द्वारा विचारोपरांत अभिमत दिया गया। (विवरण परिशिष्ट- सात में दर्शित)

विगत दो वर्षों में अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामलों में आयोग द्वारा निराकृत प्रकरणों की तुलनात्मक स्थिति (आरेख 13.1) में दर्शायी गई है।



आरेख 13.1

## अध्याय - तेरह

### वित्त

**वित्त:-**

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर के वित्त प्रभाग के प्रमुख आयोग के सचिव होते हैं, जो राज्य शासन द्वारा पदस्थापित भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं तथा आयोग के वित्तीय मामलों के मुख्य नियंत्रण अधिकारी होते हैं। वित्त प्रभाग आयोग का बजट तैयार करने तथा वित्तीय मामले में व्यय नियंत्रण एवं निगरानी के संबंध में आयोग को परामर्श देने के लिए उत्तरदायी है। आयोग के बजट एवं वित्तीय सलाहकार के लिए वित्त विभाग से उप संचालक (वित्त) की पदस्थापना राज्य शासन द्वारा की गई है, जो वित्तीय पृष्ठभूमि वाले राज्य वित्त सेवा के अधिकारी होते हैं।

#### **वर्ष 2020-21 के दौरान बजटीय स्थिति:-**

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर एक संवैधानिक संस्था है, जिसके संविधान द्वारा कठिपय महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ—साथ, राज्य शासन के अधीन राज्य प्रशासनिक स्तर के पदों पर नियुक्त हेतु विभिन्न प्रतिष्ठित परीक्षाओं का संचालन शामिल है। राज्य लोक सेवा आयोग का व्यय राज्य की संचित निधि पर प्रभारित होता है। वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु राशि ₹. 22,65,26,000=00 का बजट प्रावधान किया गया था, जो मुख्यतः आयोग द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन एवं स्थापना व्यय के लिए था। परीक्षाओं का संचालन पूर्व—निर्धारित समय—सारणी के अनुसार किया जाना होता है और इसलिए व्यय एक प्रतिबद्ध दायित्व है, जिसे रथगित नहीं किया जा सकता। परीक्षा एवं चयन पर व्यय सीधे आयोग द्वारा आयोजित की जा रही विभिन्न परीक्षाओं एवं भर्ती प्रक्रियाओं के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या पर निर्भर करता है। उक्त बजट में से राशि ₹. 15,42,71,772=00 का व्यय हुआ तथा राशि ₹. 7,22,54,228=00 की बचत हुई। बचत मुख्यतः वेतन मदों में हुई, जिसका कारण रिक्त पदों का होना है। बचत राशि ₹. 7,22,54,228=00 का समर्पण किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 में आयोजित परीक्षाओं में शामिल अभ्यर्थियों से प्राप्त शुल्क से कुल राशि ₹. 6,85,00,106=00 राजस्व प्राप्ति हुई। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान किए गए प्रावधानों तथा निधि के उपयोग के संबंध में स्थिति तालिका-1 में एवं वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्राप्त राजस्व प्राप्ति की जानकारी तालिका-2 में दी गई है :—

#### **तालिका - 1**

(रु. लाखों में)

वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	अप्रयुक्त निधि	व्यय का प्रतिशत (%)
2020–21	22,65.26	15,42.72	7,22.54	68.10

#### **तालिका - 2**

वित्तीय वर्ष	राजस्व प्राप्ति	रिमार्क
2020–21	₹.6,85,00,106=00	भारतीय स्टेट बैंक, मैन ब्रांच, रायपुर में विभिन्न चालानों के माध्यम से शासकीय कोष में राजस्व प्राप्ति की राशि को जमा किया गया।

(विवरण परिशिष्ट-आठ में दर्शित)

## अध्याय - चौदह

### न्यायालयीन प्रकरण

**प्रतिवेदन अवधि में प्राप्त एवं निराकृत विधिक प्रकरणों की जानकारी निम्नानुसार रही :-**

क्रमांक	विवरण	प्रकरणों की संख्या		
		मान. उच्च न्यायालय में	मान. उच्चतम न्यायालय में	योग
01	दिनांक 01 .04.2020 से दिनांक 31.03.2021 तक दर्ज नवीन प्रकरणों की संख्या	233	01	<b>234</b>
02	कुल लंबित प्रकरणों की संख्या	616	08	<b>624</b>
03	दिनांक 01 .04.2020 से दिनांक 31.03.2021 तक निराकृत प्रकरणों की संख्या	137	0	<b>137</b>

## अध्याय - पन्द्रह

## सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत् प्रकरणों के निराकरण की जानकारी

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जनसूचना अधिकारी (सामान्य), जनसूचना अधिकारी (परीक्षा) एवं अपीलीय अधिकारी की विशिष्टियां एवं उनको प्रतिवेदन अवधि में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की सांख्यिकीय जानकारी निम्नानुसार है :—

क्र.	अधिकारी का नाम	पद नाम	जनसूचना/अपीलीय अधिकारी	दूरभाष क्रमांक
1	श्रीमती आरती वासनिक	परीक्षा नियंत्रक	अपीलीय अधिकारी	0771—2331204
2	श्री आर. के. धुव	अवर सचिव	जनसूचना अधिकारी (सामान्य)	0771—2331204
3	श्री जे.एस. गोंड	अवर सचिव	जन सूचना अधिकारी (परीक्षा)	0771—2331204

### सूचना के अधिकार के तहत् प्राप्त आवेदनों के निराकरण का विवरण :-

शाखा	विगत वर्ष के अंत में लंबित आवेदनों की संख्या	वर्ष में प्राप्त आवेदनों की संख्या	योग कॉलम (2+3)	स्वीकृत आवेदनों की संख्या	अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	कुल निराकृत आवेदनों की संख्या	वर्ष के अंत में शेष आवेदनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
जनसूचना अधिकारी (सामान्य)	—	88	88	62	26	-	88
जनसूचना अधिकारी (परीक्षा)	—	578	578	569	09	578	—
योग	—						—

### प्रथम अपील अधिकारी के द्वारा निराकृत किये गये अपीलों का विवरण:-

विगत वर्ष के अंत में लंबित आवेदनों की संख्या	इस वर्ष में प्राप्त अपील प्रकरण की संख्या	योग	स्वीकृत अपीलों की संख्या	अस्वीकृत अपीलों की संख्या	कुल निराकृत अपील	वर्ष के अंत में शेष अपीलों की संख्या
03	101	104	01	91	92	12

**लोक प्राधिकारियों एवं जन सूचना अधिकारियों के द्वारा संकलित फीस एवं अभिलेख शुल्क का विवरण:-**

विभाग	अधिनियम की धारा—4(4) के तहत संकलित राशि का विवरण	अधिनियम की धारा—6(1) के तहत प्राप्त फीस का विवरण	अधिनियम की धारा—7(1) के तहत प्राप्त फीस का विवरण	अधिनियम की धारा—7(5) के तहत प्राप्त फीस का विवरण	अन्य संकलित राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7
जनसूचना अधिकारी (सामान्य)	—	192	7091	—	—	7283
जनसूचना अधिकारी (परीक्षा)	—	6966	49172	—	—	56138

परिशिष्ट-4.8

**लोक प्राधिकारियों एवं जन सूचना अधिकारियों के द्वारा संकलित फीस एवं अभिलेख शुल्क का विवरण:-**

विभाग	प्राप्त आवेदनों की श्रेणीवार कुल संख्या								
	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	कुल	गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी अंतर्गत प्राप्त	अनुसूचित जाति की संख्या	अनुसूचित जनजाति की संख्या	पिछङ्गी वर्ग की संख्या	अन्य वर्ग	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
जनसूचना अधिकारी (सामान्य)	82	06	88	—	—	—	—	—	88
जनसूचना अधिकारी (परीक्षा)	473	105	578	04	—	—	—	—	578

परिशिष्ट:-4.9

**लोक प्राधिकारियों एवं जन सूचना अधिकारियों के द्वारा संकलित फीस एवं अभिलेख शुल्क का विवरण:-**

विभाग	प्राप्त आवेदन की श्रेणीवार कुल संख्या					योग
	शासकीय सेवक	पत्रकार	सामाजिक कार्यकर्ता	महिला	अन्य	
1	2	3	4	5	6	7
जनसूचना अधिकारी (सामान्य)	74	—	—	09	85	168
जनसूचना अधिकारी (परीक्षा)	11	—	01	161	405	578

**वेबसाइट पर सूचना का अधिकार-2005 के अंतर्गत जानकारी देना-**

- आयोग तथा छत्तीसगढ़ शासन की वेबसाइट पर सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत धारा 4 (1) (ख) के अंतर्गत 17 बिन्दुओं की जानकारी के स्व-सक्रिय प्रगटीकरण की व्यवस्था की गई है।
- प्रत्येक माह परीक्षा अनुभाग, सामान्य अनुभाग एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी को सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों की संख्या, पूर्व माह के लंबित आवेदनों की संख्या, उस माह में कुल निराकृत आवेदनों की संख्या तथा लंबित आवेदनों की संख्या का विवरण आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर जानकारी सार्वजनिक की जाती है।

## अध्याय - सोलह

### कृतज्ञता ज्ञापन

स्थापना के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियमानुसार संपूर्ण सूचिता के साथ किए गए कार्यों से ही किसी भी संस्थान की स्थापना का उद्देश्य सार्थक सिद्ध हो सकता है। संविधान के भाग 14 अध्याय 2 अनुच्छेद 315 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। समग्र राज्य हेतु लोक सेवकों के चयन एवं पदोन्नति के साथ-साथ राज्य के विभिन्न विभागों हेतु भर्ती नियमों का अनुमोदन छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के संवैधानिक दायित्व है।

संविधान के अनुच्छेद 323 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है, कि प्रत्येक राज्य लोक सेवा आयोग किए गए कार्यों के बारे में प्रतिवर्ष राज्य के माननीय राज्यपाल को प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से लोक सेवा आयोग अपने साल भर के क्रिया कलापों तथा उपलब्धियों के साथ-साथ भावी कार्य योजनाओं को माननीय राज्यपाल तथा विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करते हैं।

वर्ष 2020-21 में आयोग द्वारा संपादित कार्यों का समग्र प्रस्तुतीकरण वार्षिक प्रतिवेदन के रूप में तैयार कर प्रस्तुत किया जा रहा है।

आयोग, छत्तीसगढ़ शासन के मंत्रालयों और विभागों तथा अन्य संस्थानों द्वारा दिए गए बहुमूल्य सहयोग के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करता है। आयोग अपने अधिकारियों और स्टाफ के अन्य सदस्यों के कठोर परिश्रम और दक्षता के साथ कर्तव्यों का निर्वहन की भी हार्दिक सराहना करता है, जिसके फलस्वरूप छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग अपने संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन में सफल रहा है।

स्थान: नवा रायपुर, अटल नगर  
दिनांक : 24 फरवरी 2022



(जीवन किशोर ध्रुव)  
सचिव  
छ.ग. लोक सेवा आयोग

## परिशिष्ट - एक

### आयोग के पदाधिकारियों का जीवन वृतान्त

<b>श्री टामन सिंह सोनवानी</b>	<b>अध्यक्ष</b>
आयोग में सदस्य के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि	01 / 06 / 2020
आयोग में अध्यक्ष के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि	02 / 06 / 2020
जन्मतिथि	09.09.1961
शिक्षा	बी.ए., एल.एल.बी., स्नातकोत्तर—समाजशास्त्र, इतिहास, लोक प्रशासन, राजनीति शास्त्र
सेवा विवरण/पदस्थापना	<p><b>राज्य प्रशासनिक सेवा (1991 बैच):—</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>डिप्टी कलेक्टर, बस्तर (अविभाजित) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, दंतेवाड़ा</li> <li>डिप्टी कलेक्टर, बालाघाट</li> <li>डिप्टी कलेक्टर, दुर्ग अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पाटन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बालोद</li> <li>संयुक्त कलेक्टर, रायपुर</li> <li>उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ (विधानसभा 2003 एवं लोकसभा 2004)</li> <li>अवर सचिव, मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन</li> <li>अपर कलेक्टर, सरगुजा</li> <li>अपर कलेक्टर, रायपुर</li> <li>मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत—कोरिया</li> <li>उप सचिव/संयुक्त सचिव—मंत्रालय, स्कूल शिक्षा विभाग</li> <li>अतिरिक्त कलेक्टर, रायपुर</li> <li>मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला—पंचायत—कबीरधाम</li> </ol> <p><b>भारतीय प्रशासनिक सेवा (2004 बैच)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला—पंचायत—जांजगीर</li> <li>कलेक्टर, जिला—नारायणपुर</li> <li>कलेक्टर, जिला—कांकेर</li> <li>संभागायुक्त—सरगुजा संभाग</li> <li>सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन सचिव, विमानन विभाग, संचालक कृषि संचालक विमानन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जलग्रहण</li> </ol>
शासकीय सेवा से सेवा निवृत्ति की तिथि	30 / 05 / 2020

<b>श्री शिव नारायण पाण्डेय</b>	: सदस्य
आयोग में पदभार ग्रहण करने की तिथि	: 05.12.2014
जन्म तिथि	: 01.01.1962
शिक्षा	: बी.एस.सी., एल.एल.बी.
सेवा विवरण / पदस्थापना	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ स्टेट बार कौंसिल ऑफ छ.ग. में दस वर्षों तक सदस्य।</li> <li>▪ बार कौंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासन समिति का दो वर्ष सदस्य।</li> <li>▪ विगत 28 वर्ष विधि सलाहकार अधिवक्ता।</li> <li>▪ जिला सहकारी बैंक बस्तर जगदलपुर में 05 वर्षों तक उपाध्यक्ष के पद पर (वर्ष 2008 से 2012 तक)</li> </ul>
सेवानिवृत्ति तिथि	04 दिसंबर 2020

<b>श्री सुकृत लाल साव</b>	<b>सदस्य</b>		
आयोग में पदभार ग्रहण करने की तिथि	22 / 05 / 2017		
जन्मतिथि	03 / 04 / 1960		
शिक्षा	एम.एस.सी. (जन्तु विज्ञान)		
	1	1982—84	वन क्षेत्रपाल, राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर (म.प्र)
	2	1984—86	राज्य वन सेवा प्रशिक्षण, राज्य वन सेवा महाविद्यालय, देहरादून
	3	1986—87	सहा.वन संरक्षक (परिवीक्षाधीन) कोण्डागांव वनमंडल कोण्डागांव बस्तर
	4	1987—92	उप प्रबंधन, कार्या. वनसंरक्षक, जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर
	5	1992—95	अनुविभागीय अधिकारी, रेहण्ड उप वनमंडल उत्तर सरगुजा वनमंडल अंबिकापुर, सरगुजा

	6	1995–03(i)	प्रभारी वनमंडलाधिकारी (भू–प्रबंध) राजनांदगांव वनमंडल, राजनांदगांव
		(ii)	प्रभारी आरेंज एरिया इकाई, राजनांदगांव
		(iii)	अनुविभागीय अधिकारी (उत्पा.) राजनांदगांव वनमंडल, राजनांदगांव
		(iv)	अनुविभागीय अधिकारी, मानपुर उप वनमंडल राजनांदगांव
	7.	2003–04	सहायक वन संरक्षक कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरण्य भवन रायपुर
	8.	2004–06	वनमंडलाधिकारी, रायगढ़ वनमंडल रायगढ़
	9.	2006–08	वनमंडलाधिकारी, बस्तर वनमंडल जगदलपुर
	10.	2008–09	उप महाप्रबंधक, कार्या. प्रबंध संचालक छ.ग.रा.लघु वनोपज संघ रायपुर
	11.	2009–11	वनमंडलाधिकारी, खैरागढ़ वनमंडल खैरागढ़
	12.	2011–14	उप वनसंरक्षक कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छ.ग. रायपुर
	13.	2014–16	वन संरक्षक, कार्या. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, छ.ग. रायपुर
	14.	2016–17	मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना) कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छ.ग. रायपुर
	14.	2017	सदस्य, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर
विदेश यात्रा	1.	2015	फिनलैंड
	2.	2015	एस्टोनिया
	3.	2015	रूस
शा. सेवा से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की तिथि	16 मई 2017		

<b>डॉ. मोतीलाल बाचकर</b>	: सदस्य
आयोग में पदभार ग्रहण करने की तिथि	: 05 / 10 / 2017
जन्मतिथि	: 02 / 01 / 1961
शिक्षा	: एम.बी.बी.एस, एम.डी. मेडिसीन
सेवा विवरण/ पदस्थापना	<ul style="list-style-type: none"> <li>• खण्ड चिकित्सा अधिकारी 1990 से 2001 तक</li> <li>• सामु. स्वा. केन्द्र मानपुर में वर्ष 1990 से 1994 तक खण्ड चिकित्सा अधिकारी</li> <li>• सामु. स्वा. केन्द्र बोडला में वर्ष 1994 से 2001 तक खण्ड चिकित्सा अधिकारी</li> <li>• सामु. स्वा. केन्द्र पंडरिया में वर्ष 2001 से 2007 तक (मेडिकल ऑफिसर)</li> <li>• मेडिकल स्पेशलिस्ट</li> <li>• सामु. स्वा. केन्द्र पंडरिया में वर्ष 2007 से 2014 तक मेडिकल स्पेशलिस्ट</li> <li>• जिला चिकित्सालय कवर्धा में वर्ष 2014 से 2017 तक मेडिकल स्पेशलिस्ट</li> <li>• सिविल सर्जन एवं सह अस्पताल अधीक्षक सितम्बर 2017 से 04 अक्टूबर 2017 तक</li> </ul>
शा.सेवा से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की तिथि	04 अक्टूबर 2017

## परिशिष्ट - दो

### आयोग में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी

(दिनांक 31.03.2021 की स्थिति में)

क्र.	पद का नाम	वेतन बेण्ड	ग्रेड – पे	लेवल	पद संख्या		
					स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	माननीय अध्यक्ष	80,000	-	Level-17 (Center Govt.)	1	1	-
2.	माननीय सदस्य	67,000-79000	-	Level-15 (Center Govt.)	4	2	2
3.	सचिव	37,400-67,000	8,700	Level-13 (Center Govt.)	1	1	-
4.	विधिक सलाहकार (संविदा)	70,290-1,540-76,450	-	-	1	1	-
5.	उप सचिव भा.प्र.से / रा.प्र.से	15,600-39,100	7,600	Level-12 (Center Govt.) /Level-14 (State Govt.)	1	-	1
6.	परीक्षा नियंत्रक	15,600-39,100	6,600	Level-13	1	1	-
7.	सीनियर मैनेजर इन्फर्मेशन सिस्टम (आउटसोर्सिंग / संविदा)	37400-67000	8700	Level-15	1	-	1
8.	मैनेजर इन्फर्मेशन सिस्टम (आउटसोर्सिंग / संविदा)	15600-39100	7600	Level-14	1	-	1
9.	अवर सचिव	15,600-39,100	6,600	Level-13	2	2	-
10.	उप संचालक (वित्त)	15,600-39,100	6,600	Level-13	1	1	-
11.	स्टॉफ ऑफिसर	15,600-39,100	6,600	Level-13	1	1	-
12.	वरिष्ठ प्रोग्रामर (आउटसोर्सिंग / संविदा)	15,600-39,100	6,600	Level-13	2	-	2
13.	अपर परीक्षा नियंत्रक	15,600-39,100	5,400	Level-12	1	1	-
14.	विधि अधिकारी	15,600-39,100	5,400	Level-12	1	-	1
15.	प्रोग्रामर	15,600-39,100	5,400	Level-12	2	2	-
16.	सांख्यिकी अधिकारी	15,600-39,100	5,400	Level-12	1	-	1
17.	उप परीक्षा नियंत्रक	9,300-34,800	4,400	Level-10	1	1	-
18.	अनुभाग अधिकारी	9,300-34,800	4,800	Level-11	7	3	4
19.	निज सचिव	9,300-34,800	4,800	Level-11	2	1	1
20.	कनिष्ठ लेखाधिकारी	9,300-34,800	4,300	Level-09	1	-	1
21.	सहायक प्रोग्रामर	9,300-34,800	4,300	Level-09	1	1	-
22.	सहायक प्रोग्रामर (संविदा)	9,300-34,800	4,300	Level-09	2	-	2
23.	शीघ्रलेखक / निज सहायक	9,300-34,800	4,300	Level-09	3	1	2
24.	सहायक ग्रेड-1	9,300-34,800	4,300	Level-09	16	8	8
25.	ग्रंथपाल	9,300-34,800	4,200	Level-08	1	1	-
26.	स्टोर कोपर	9,300-34,800	4,200	Level-08	1	1	-
27.	शीघ्रलेखक ग्रेड-3	5,200-20,200	2,800	Level-07	5	5	-

28.	सहायक ग्रेड-2	5,200-20,200	2,400	Level-06	16	16	-
29.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	5,200-20,200	2,400	Level-06	4	4	-
30.	स्टेनोटायपिस्ट	5,200-20,200	1,900	Level-04	3	3	-
31.	सहायक ग्रेड-3	5,200-20,200	1,900	Level-04	32	21	11
32.	वाहन चालक	5,200-20,200	1,900	Level-04	8	6	2
33.	वाहन चालक	5,200-20,200	1,900	Level-04	2	2*	-
34.	दफ्तरी	4,750-7,440	1,400	Level-02	3	3	-
35.	जमादार	4,750-7,440	1,400	Level-02	1	1	-
36.	डाक रनर	4,750-7,440	1,300	Level-01	2	2	-
37.	भृत्य	4,750-7,440	1,300	Level-01	16	6	10
38.	फर्मांश	4,750-7,440	1,300	Level-01	2	2	-
39.	वाहन चालक (कलेक्टर दर)	.	.	.	1	1	.
40.	भृत्य (कलेक्टर दर)	.	.	.	8	6	2
41.	माली (कलेक्टर दर)	.	.	.	2	1	1
42.	सफाई कर्मचारी (कलेक्टर दर)	.	.	.	2	2	.
	योग				<b>164</b>	<b>110</b>	<b>54</b>

## परिशिष्ट - तीन

### अंतिम चयन

**आयोग द्वारा 01.04.2020 से 31.03.2021 तक जारी चयन एवं पदवार  
अनुशासित अभ्यर्थियों की संख्या की जानकारी निम्नानुसार है:-**

क्र.	विज्ञापन क्रमांक	विभाग का नाम	पद का नाम	पद संख्या	चयन सूची जारी होने की तिथि	मुख्य सूची में चयनित आवेदकों की संख्या	चयनित अभ्यर्थियों की श्रेणीवार जानकारी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	विज्ञापन क्र. 01 / 2009 / परीक्षा / दिनांक 15.05.2009 रोजगार नियोजन में प्रकाशन दिनांक 20.05.2009	उच्च शिक्षा विभाग	सहायक प्राध्यापक, भूगोल	14	30.05.2020	14	04.06.2020
2	विज्ञापन क्र. 05 / 2019 / परीक्षा / दिनांक 02.03.2019 रोजगार नियोजन में प्रकाशन दिनांक 06.03.2019 एवं शुद्धि पत्र क्र. 11 / 2019 / परीक्षा / दिनांक 21.08. 2019	उच्च शिक्षा विभाग	ग्रंथपाल	56	12.09.2020	40	29.09.2020
3	विज्ञापन क्र. 05 / 2019 / परीक्षा / दिनांक 02.03.2019 रोजगार नियोजन में प्रकाशन दिनांक 06.03.2019 एवं शुद्धि पत्र क्र. 10 / 2019 / परीक्षा / दिनांक 27.07. 2019	उच्च शिक्षा विभाग	क्रीड़ा अधिकारी	61	18.09.2020	55	05.10.2020
4	विज्ञापन क्र. 03 / 2019 / परीक्षा / दिनांक 01.02.2019 रोजगार नियोजन में प्रकाशन दिनांक 06.02.2019	विधि एवं विधायी कार्य विभाग	व्यवहार न्यायाधीश 2019	39	07.11.2020	39	13.11.2020
5	विज्ञापन क्र. 04 / 2020 / परीक्षा / दिनांक 12.02.2020 रोजगार नियोजन में प्रकाशन दिनांक 19.02.2020	पशुधन विकास विभाग	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	162	30.12.2020	94	07.01.2021

6	विज्ञापन क्र. 08 / 2020 / परीक्षा / दिनांक 20.08.2020 रोजगार नियोजन में प्रकाशन दिनांक 26.08.2020	जनसंपर्क विभाग	सहायक संचालक जनसंपर्क अंग्रेजी माध्यम	5	22.01.2021	4	28.01.2021
7	विज्ञापन क्र. 03 / 2020 / परीक्षा / दिनांक 07.02.2020 रोजगार नियोजन में प्रकाशन दिनांक 12.02.2020	जल संसाधन विभाग	1 सहायक भू-जल विद सहायक भू-विद	5	04.02.2021	5	18.02.2021
			2 सहायक भू-भौतिक विद	1		1	
			3 सहायक भू-रसायन विद	1		1	
8	विज्ञापन क्र. 05 / 2020 / परीक्षा / दिनांक 02.03.2020 रोजगार नियोजन में प्रकाशन दिनांक 11.03.2020	श्रम विभाग	बीमा चिकित्सा पदाधिकारी	52	04.02.2021	47	18.02.2021
9	विज्ञापन क्र. 06 / 2020 / परीक्षा / दिनांक 04.06.2020 रोजगार नियोजन में प्रकाशन दिनांक 10.06.2020	कृषि विभाग	सहायक संचालक कृषि	25	06.02.2021	25	प्रक्रियाधीन
10	विज्ञापन क्र. 01 / 2018 / परीक्षा / दिनांक 11.01.2018 रोजगार नियोजन में प्रकाशन दिनांक 17.01.2018	छ.ग. लोक सेवा आयोग	1 शीघ्रलेखक ग्रेड 03	2	04.03.2021	2	आयोग कार्यालय हेतु सीधी भर्ती।
			2 स्टेनोटायपिस्ट	3		3	
			3 सहायक ग्रेड 03	15		15	
11	विज्ञापन क्र. 07 / 2015 / परीक्षा / दिनांक 31.10.2015 रोजगार नियोजन में प्रकाशन दिनांक 04.11.2015	छ.ग. लोक सेवा आयोग	सहायक ग्रेड 03 (निःशक्तजन बैकलॉग)	1	04.03.2021	1	

12	विज्ञापन क्र. 02 / 2019 / परीक्षा / दिनांक 18.01.2019 रोजगार नियोजन में प्रकाशन दिनांक 23.01.2019 शुद्धि पत्र क्र. 04 / 2019 / परीक्षा / दिनांक 01.02.2019, 07 / 2019 / परीक्षा / दिनांक 23.02.2019, 12 / 2019 / परीक्षा / दिनांक 23.11.2019, 02 / 2020 / परीक्षा / दिनांक 11.02.2020 एवं 01 / 2021 / परीक्षा / दिनांक 08.01.2021	उच्च शिक्षा विभाग	सहायक प्राध्यापक, संस्कृत	5	09.02.2021	5	18.02.2021
		सहायक प्राध्यापक, वानिकी	1	10.02.2021	1	18.02.2021	
		सहायक प्राध्यापक, बायोकेमेस्ट्री	1	10.02.2021	1	18.02.2021	
		सहायक प्राध्यापक, माइक्रो बायोलॉजी	8	10.02.2021	8	18.02.2021	
		सहायक प्राध्यापक, विधि	32	10.02.2021	20	18.02.2021	
		सहायक प्राध्यापक, बायो टेक्नोलॉजी	6	10.02.2021	6	18.02.2021	
		सहायक प्राध्यापक, भू-गर्भशास्त्र	5	10.02.2021	3	18.02.2021	
		सहायक प्राध्यापक, मनोविज्ञान	8	11.02.2021	8	18.02.2021	
		सहायक प्राध्यापक, हिन्दी	50	25.02.2021	50	08.03.2021	
		सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र	36	27.02.2021	35	08.03.2021	
		सहायक प्राध्यापक, गृह विज्ञान	9	02.03.2021	9	08.03.2021	
		सहायक प्राध्यापक, गणित	99	04.03.2021	62	16.03.2021	
		सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र	61	26.03.2021	60	06.04.2021	

## परिशिष्ट - चार

### सूचना-प्रौद्योगिकी

**( 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए)**

#### **ऑनलाइन आवेदनों का आयोग की वेबसाइट पर प्रगटीकरण-**

इस अवधि में सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले विज्ञापनों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी शीर्ष से परिशिष्ट तैयार करने के साथ—साथ निम्न विज्ञापनों का आयोग की वेबसाइट पर प्रगटीकरण किया गया—

- ✓ सहायक संचालक, कृषि—2020
- ✓ छ.ग. राज्य वन सेवा (संयुक्त) परीक्षा—2020
- ✓ सहायक संचालक, जनसम्पर्क (अंग्रेजी माध्यम)—2020
- ✓ राज्य सेवा परीक्षा—2020
- ✓ कुलसचिव, उप कुलसचिव, सहायक कुलसचिव—2020
- ✓ सहायक प्राध्यापक (चिकित्सा शिक्षा)—2021

#### **संवीक्षा अनुभाग को ऑनलाइन आवेदन संबंधी रिपोर्ट उपलब्ध कराना-**

उपरोक्त विज्ञापनों में अभ्यर्थियों द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदनों की वर्गवार जानकारी एवं परीक्षा जिलेवार जानकारी संवीक्षा अनुभाग को उपलब्ध कराई गई। संवीक्षा अनुभाग इन्हीं आंकड़ों के आधार पर परीक्षा केन्द्रों की संख्या का निर्धारण एवं बैठक व्यवस्था की तैयारी करता है।

#### **प्रवेश पत्रों की डिजाइन एवं आयोग की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों हेतु प्रवेश पत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करना-**

निम्न परीक्षाओं हेतु प्रवेश पत्रों की डिजानिंग की गई एवं अभ्यर्थियों हेतु परीक्षा दिवस के 10 दिन पूर्व आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए—

- ✓ व्यवहार न्यायाधीश (मुख्य) परीक्षा—2019
- ✓ सहायक प्राध्यापक (उच्च शिक्षा विभाग) परीक्षा—2019
- ✓ व्यवहार न्यायाधीश परीक्षा—2020
- ✓ सहायक भू—जल विद्, सहायक भू—भौतिक विद् एवं सहायक भू—रसायन विद् परीक्षा—2020
- ✓ सहायक संचालक, जनसम्पर्क (अंग्रेजी माध्यम) परीक्षा—2020
- ✓ बीमा चिकित्सा अधिकारी परीक्षा—2020
- ✓ सहायक संचालक कृषि परीक्षा—2020
- ✓ छ.ग. लोक सेवा आयोग हेतु विभिन्न पदों हेतु कौशल परीक्षा

- ✓ राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा –2020
- ✓ राज्य सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा–2020
- ✓ राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा—2019
- ✓ व्यवहार न्यायाधीश (मुख्य) परीक्षा—2020

## **केन्द्र एवं रोलनंबर आंबटन-**

उपरोक्त अवधि में सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग द्वारा निम्नांकित परीक्षाओं हेतु केन्द्र एवं रोलनंबर आंबटन का कार्य किया गया—

- (1). व्यवहार न्यायाधीश (मुख्य) परीक्षा—2019 (21–09–2020)
- (2). सहायक प्राध्यापक (उच्च शिक्षा विभाग) परीक्षा—2019 (5, 6 7 एवं 8 नवम्बर 2020)
- (3). व्यवहार न्यायाधीश परीक्षा—2020 (10 नवम्बर 2020)
- (4). सहायक भू—जल विद्, सहायक भू—भौतिक विद् एवं सहायक भू—रसायन विद् परीक्षा—2020 (23–11–2020)
- (5). सहायक संचालक, जनसम्पर्क (अंग्रेजी माध्यम) परीक्षा—2020 (23–11–2020)
- (6). बीमा चिकित्सा अधिकारी परीक्षा—2020 (28–11–2020)
- (7). सहायक संचालक कृषि परीक्षा—2020 (14–12–2020)
- (8). छ.ग. लोक सेवा आयोग हेतु विभिन्न पदों हेतु कौशल परीक्षा (7, 8 9 एवं 10 जनवरी 2021)
- (9). राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा —2020 (15–01–2021)
- (10). राज्य सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा—2020 (14–02–2021)
- (11). राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा—2019 (15, 16 17 एवं 18 मार्च 2021)
- (12). व्यवहार न्यायाधीश (मुख्य) परीक्षा—2020 (22–03–2020)

**ओ.एम.आर. उपस्थिति पत्रक-** आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली ऑफलाइन परीक्षाओं में ओ.एम.आर. उपस्थिति पत्रक का प्रयोग किया जाता है। ओ.एम.आर. उपस्थिति पत्रक के प्रयोग द्वारा परीक्षा केन्द्रों में अभ्यर्थियों की अनुपस्थिति मिलान के कार्य में समय, श्रम की बचत के साथ—साथ अनुपस्थिति मिलान की प्रमाणिकता में वृद्धि होती है। ओ.एम. आर. उपस्थिति पत्रक का प्रयोग निम्न परीक्षा में किया गया —

- (1). व्यवहार न्यायाधीश (मुख्य) परीक्षा—2019 (21–09–2020)
- (2). सहायक प्राध्यापक (उच्च शिक्षा विभाग) परीक्षा—2019 (5, 6 7 एवं 8 नवम्बर 2020)
- (3). व्यवहार न्यायाधीश परीक्षा—2020 (10 नवम्बर 2020)
- (4). सहायक भू—जल विद्, सहायक भू—भौतिक विद् एवं सहायक भू—रसायन विद् परीक्षा—2020 (23–11–2020)
- (5). सहायक संचालक, जनसम्पर्क (अंग्रेजी माध्यम) परीक्षा—2020 (23–11–2020)

- (6). बीमा चिकित्सा अधिकारी परीक्षा—2020 (28-11-2020)
- (7). सहायक संचालक कृषि परीक्षा—2020 (14-12-2020)
- (8). राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा —2020 (15-01-2021)
- (9). राज्य सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा—2020 (14-02-2021)
- (10). राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा—2019 (15, 16 17 एवं 18 मार्च 2021)
- (11). व्यवहार न्यायाधीश (मुख्य) परीक्षा—2020 (22-03-2020)

**मॉडल उत्तर एवं ऑनलाइन आपत्ति-** परीक्षा गोपनीय अनुभाग द्वारा जारी किए जाने वाले मॉडल उत्तर को आयोग की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों हेतु उपलब्ध करा कर मॉडल उत्तर के संबंध में आपत्तियां ऑनलाइन दर्ज करने हेतु ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने संबंधी निर्देश शीर्ष से परिशिष्ट तैयार कर सूचना प्रकाशित की जाती है। ऑनलाइन आपत्ति के पश्चात अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त हुए आपत्तियों को विषय विशेषज्ञों से आपत्ति के निवारण हेतु प्रश्नवार जानकारी तैयार कर परीक्षा गोपनीय को उपलब्ध कराया जाता है। परीक्षाओं के नाम निम्न हैं जिनमें ऑनलाइन आपत्ति का प्रयोग किया गया—

- (1). सहायक प्राध्यापक (उच्च शिक्षा विभाग) परीक्षा—2019 (5, 6 7 एवं 8 नवम्बर 2020)
- (2). व्यवहार न्यायाधीश परीक्षा—2020 (10 नवम्बर 2020)
- (3). सहायक भू-जल विद्, सहायक भू-भौतिक विद् एवं सहायक भू-रसायन विद् परीक्षा—2020 (23-11-2020)
- (4). सहायक संचालक, जनसम्पर्क (अंग्रेजी माध्यम) परीक्षा—2020 (23-11-2020)
- (5). बीमा चिकित्सा अधिकारी परीक्षा—2020 (28-11-2020)
- (6). सहायक संचालक कृषि परीक्षा—2020 (14-12-2020)
- (7). राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा —2020 (15-01-2021)
- (8). राज्य सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा—2020 (14-02-2021)

#### **लिखित परीक्षा परिणाम तैयार करना-**

इस अवधि में निम्न लिखित परीक्षाओं के परिणाम के आधार पर साक्षात्कार हेतु अथवा परीक्षा के अगले चरण हेतु अभ्यर्थियों का चिन्हांकन सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग द्वारा किया गया—

- (1). राज्य सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा—2019
- (2). व्यवहार न्यायाधीश (मुख्य) परीक्षा—2019
- (3). व्यवहार न्यायाधीश परीक्षा—2020
- (4). राज्य सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा—2019 (विस्तारित परीक्षा परिणाम)
- (5). सहायक संचालक, जनसम्पर्क (अंग्रेजी माध्यम) परीक्षा—2020
- (6). सहायक भू-जल विद्, सहायक भू-भौतिक विद् एवं सहायक भू-रसायन विद् परीक्षा—2020

- (7). बीमा चिकित्सा अधिकारी परीक्षा—2020
- (8). सहायक प्राध्यापक (उच्च शिक्षा विभाग) परीक्षा—2019 (**कुल 24 विषय**)
- (9). सहायक संचालक कृषि परीक्षा—2020
- (10). राज्य सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा—2020

#### **राज्य सेवा परीक्षा हेतु ऑनलाइन अग्रमान्यता अंकित कराना -**

ऑनलाइन अग्रमान्यता में अभ्यर्थियों को राज्य सेवा परीक्षा में अपने पदों की अग्रमान्यता ऑनलाइन भरने के बाद प्राप्त कम्प्यूटराईज्ड पावर्टी को साक्षात्कार के समय जांच दल के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। ऑनलाइन अग्रमान्यता का प्रयोग **राज्य सेवा परीक्षा** में किया जाता है।

#### **साक्षात्कार बुलावा पत्र एवं संलग्न 4 दस्तावेज आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध कराना-**

अभ्यर्थियों को साक्षात्कार बुलावा पत्र एवं संलग्न चार दस्तावेज (1) जानकारी पत्रक (01 प्रति में), (2) अनुप्रमाणन—पत्र (03 प्रति में) (3) उपस्थिति पत्रक (01 प्रति में) तथा (4) व्यक्तिगत विवरण (06 प्रतियों में) डाऊनलोड कर आवश्यक प्रविष्टियां कर दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होता है। उक्त प्रक्रिया से अभ्यर्थियों को भेजे जाने वाले साक्षात्कार बुलावा पत्रक एवं अन्य प्रपत्र से डाक व्यय एवं समय की क्षति होती, जिसे इन प्रपत्रों को ऑनलाइन उपलब्ध कराकर बचाया जा सका।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में आवेदन हार्ड कॉपी में न होने के कारण साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दिए गए डाटा के आधार पर मास्टर डाटा पेज तैयार कर चयन अनुभाग को उपलब्ध कराए गए। जिनका प्रयोग साक्षात्कार के दौरान मूल दस्तावेजों के परीक्षण हेतु किया गया। इसके आलावा उपरोक्त परीक्षाओं में साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों की लॉटरी के आधार पर उपस्थिति पत्रक एवं साक्षात्कार—अंक सूची का फारमेट सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग द्वारा तैयार किए सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है।

#### **साक्षात्कार उपरांत अंतिम चयन परिणाम तैयार करना-**

उपरोक्त अवधि में निम्न परीक्षाओं हेतु सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग द्वारा साक्षात्कार उपरांत अंतिम चयन परिणाम तैयार किए गए—

- (1). सहायक प्राध्यापक (भूगोल—अंतिम संशोधित चयन परिणाम)—2009
- (2). ग्रंथपाल (उच्च शिक्षा विभाग) परीक्षा—2019
- (3). क्रीडाधिकारी (उच्च शिक्षा विभाग) परीक्षा—2019
- (4). व्यवहार न्यायाधीश परीक्षा—2019
- (5). पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ—2020
- (6). सहायक संचालक, जनसम्पर्क (अंग्रेजी माध्यम) परीक्षा—2020
- (7). सहायक भू—जल विद्, सहायक भू—भौतिक विद् एवं सहायक भू—रसायन विद् परीक्षा—2020

- (8). बीमा चिकित्सा अधिकारी परीक्षा—2020
- (9). सहायक संचालक कृषि परीक्षा—2020
- (10). सहायक प्राध्यापक (संस्कृत) परीक्षा—2019
- (11). सहायक प्राध्यापक (वानिकी) परीक्षा—2019
- (12). सहायक प्राध्यापक (बायो केमेस्ट्री) परीक्षा—2019
- (13). सहायक प्राध्यापक (माईक्रोबायोलॉजी) परीक्षा—2019
- (14). सहायक प्राध्यापक (विधि) परीक्षा—2019
- (15). सहायक प्राध्यापक (बायोटेक्नोलॉजी) परीक्षा—2019
- (16). सहायक प्राध्यापक (भू—गर्भ शास्त्र) परीक्षा—2019
- (17). सहायक प्राध्यापक (मनोविज्ञान) परीक्षा—2019
- (18). सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) परीक्षा—2019
- (19). सहायक प्राध्यापक (समाज शास्त्र) परीक्षा—2019
- (20). सहायक प्राध्यापक (गृह विज्ञान) परीक्षा—2019
- (21). छ.ग. लोक सेवा आयोग के विभिन्न पदों की चयन सूची
- (22). सहायक प्राध्यापक (गणित) परीक्षा—2019
- (23). सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) परीक्षा—2019

## परिशिष्ट - पांच

### सेवा भर्ती नियम में आयोग का अभिमत दिये जाने का विवरण

**दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक**

सं. क्र.	नस्ती क्रमांक	विभाग का नाम	विषय	आयोग द्वारा सहमत/असहमत	विभाग का पत्र क्रमांक एवं दिनांक	अभिमत/स हमति देने का दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
01	01/2020/GS	सामान्य प्रशासन विभाग	छ.ग. राज्य प्रशासनिक सेवा (वर्गीकरण, भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 1975 में संशोधन करने बाबत।	विभागीय प्रस्ताव के परीक्षणोपरांत छ.ग. राज्य प्रशासनिक सेवा (वर्गीकरण, भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 1975 के अनुसूची एक एवं अनुसूची-दो क, ख, में किए गए संशोधन प्रस्ताव पर आयोग की सहमति दी जाती है।	20/04/2020	30/04/2020
02	150/2012/GS	कृषि विभाग	छ.ग. कृषि (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2011 में संशोधन।	विभागीय प्रस्ताव के परीक्षणोपरांत छ.ग. कृषि (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम-2011 के अनुसूची एक दो एवं अनुसूची-चार में किये गये संशोधन प्रस्ताव पर आयोग की सहमति दी गई।	30/04/2020	11/05/2020
03	164/2017/GS	गृह पुलिस विभाग	छ.ग. जेल (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2005 में संशोधन बाबत।	विभागीय प्रस्ताव के परीक्षणोपरांत छ.ग. जेल (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2008 के अनुसूची के सरल क्रमांक 10 में वित्त अधिकारी के स्थान पर उप संचालक वित्त अनुसूची दो के सरल क्रमांक 09 में वित्त अधिकारी के स्थान पर उप संचालक वित्त एवं टीप में यदि उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो कोष लेखा से समकक्ष पद से स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाने के स्थान पर वित्त विभाग से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाने तथा अनुसूची -4 के सरल क्र. 7 में कार्यालय अधीक्षक (लेखा प्रशिक्षण) से वित्त अधिकारी के पद पर पदोन्नति का विलोपित किये जाने हेतु अनुमोदित अधिसूचना के प्रारूप में आयोग की सहमति दी जाती है।	28/05/2020	28/05/2020

<b>04</b>	81/2013/GS	विधि विधायी कार्य विभाग	Regarding amendment in the C.G. Higher and Lower Judicial Service (Recruitment and condition of Service) Rules 2006	विभागीय प्रस्ताव के परीक्षणोपरांत छ.ग. उच्चतर न्यायिक सेवा एवं छ.ग. निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 2006 के नियम 12 एवं नियम 14 में किये गये संशोधन प्रस्ताव पर आयोग की सहमति दी जाती है।	06/05/2020	02/06/2020
<b>05</b>	134/2012/GS	श्रम विभाग	छ.ग. श्रम (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2013 में संशोधन बाबत्।	विभागीय प्रस्ताव के परीक्षणोपरांत छ.ग. श्रम (राजपत्रित सेवा भर्ती नियम 2013 के अनुसूची—चार में सहायक श्रम पदाधिकारी के नीचे उल्लेखित (2) स्टेनोग्राफर वर्ग—02 को विलोपित किया जाये तथा क्रमांक 03 के स्थान पर (2) प्रतिस्थापित किये जाने के संशोधन प्रस्ताव पर आयोग की सहमति दी गई।	30/01/2020	06/07/2020
<b>06</b>	156/2012/GS	चिकित्सा शिक्षा विभाग	सेवा भर्ती नियम में संशोधन करने हेतु आयोग की सहमति बाबत् (छ.ग. चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2013 में संशोधन)	विभागीय प्रस्ताव के परीक्षणोपरांत छ.ग. चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) तथा सेवा भर्ती नियम 2013 के अनुसूची चार में किये गये संशोधन प्रस्ताव पर आयोग की सहमति दी गई।	28/08/2020	28/08/2020
<b>07</b>	10/2015/GS	वन विभाग	छ.ग. वन (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2015 में संशोधन।	विभागीय प्रस्ताव के परीक्षणोपरांत छ.ग. वन (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2015 के अनुसूची तीन में किये गये संशोधन प्रस्ताव पर आयोग की सहमति दी गई।	28/08/2020	06/10/2020
<b>08</b>	81/2013/GS	विधि विधायी कार्य विभाग	Regarding amendment in the C.G. Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules 2006	उक्त प्रस्ताव पर परीक्षण उपरांत छ.ग. निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 2006 के अनुसूची 02 में किये गये संशोधन प्रस्ताव पर आयोग की सहमति दी गई।	05/10/2020	09/11/2020

09	64/2020/GS	ગ્રામોદ્યોગ વિભાગ	ભારતીય હાથકરઘા પ્રૌદ્યોગિકી સંસ્થાન જાંજગીર-ચાંપા કે રાજપત્રિત સેવા ભર્તી નિયમ 2013 કે અનુસૂચી 3 મેં લેકવરર ટેક્સ્ટાઇલ ડિજાઈન કી શૈક્ષણિક અહૃતા મેં સંશોધન હેતુ પ્રસ્તાવ।	ઉક્ત પ્રસ્તાવ પર પરીક્ષણ ઉપરાંત ભારતીય હાથકરઘા પ્રૌદ્યોગિકી સંસ્થાન જાંજગીર-ચાંપા કે રાજપત્રિત સેવા ભર્તી નિયમ 2013 કે અનુસૂચી 03 મેં લેકવરર ટેક્સ્ટાઇલ ડિજાઈન કી શૈક્ષણિક અહૃતા મેં સંશોધન પર આયોગ કી દી ગયી।	09/07/2020	11/11/2020
10	105/2016/GS	કૌશલ વિકાસ એવં તકનીકી શિક્ષા વિભાગ	છ.ગ. તકનીકી શિક્ષા (શિક્ષણ સંવર્ગ ઇંઝીનિયરિંગ મહાવિદ્યાલય (રાજપત્રિત) સેવા ભર્તી નિયમ 2014 મેં સંશોધન	વિભાગીય પ્રસ્તાવ કે પરીક્ષણોપરાંત છ.ગ. તકનીકી શિક્ષા (શિક્ષણ સંવર્ગ) ઇંઝીનિયરિંગ મહાવિદ્યાલય (રાજપત્રિત) સેવા ભર્તી નિયમ 2014 મેં કિયે ગયે સંશોધન પ્રસ્તાવ પર આયોગ કી સહમતિ દી ગઈ હૈ।	09/10/2020	09/12/2020
11	106/2016/GS	કૌશલ વિકાસ એવં તકનીકી શિક્ષા વિભાગ	છ.ગ. તકનીકી શિક્ષા (શિક્ષણ સંવર્ગ પૉલીટેકનિક સંસ્થા (રાજપત્રિત) સેવા ભર્તી નિયમ 2014 મેં સંશોધન	વિભાગીય પ્રસ્તાવ કે પરીક્ષણોપરાંત છ.ગ. તકનીકી શિક્ષા (શિક્ષણ સંવર્ગ) પૉલીટેકનિક સંસ્થા (રાજપત્રિત) સેવા ભર્તી નિયમ 2014 મેં કિયે ગયે સંશોધન પ્રસ્તાવ પર આયોગ કી સહમતિ દી ગઈ હૈ।	09/10/2020	09/12/2020
12	123/2020/GS	પરિવહન વિભાગ	છ.ગ. પરિવહન વિભાગ અધીનસ્થ તૃતીય શ્રેણી (કાર્યપાલિક) સેવા ભર્તી એવં સેવા કી શર્તો, નિયમ 2008 મેં સંશોધન બાબત્।	વિભાગીય પ્રસ્તાવ કે પરીક્ષણોપરાંત છ.ગ. પરિવહન વિભાગ અધીનસ્થ તૃતીય શ્રેણી (કાર્યપાલિક) સેવા ભર્તી એવં સેવા કી શર્તો નિયમ 2008 મેં કિયે ગયે સંશોધન પ્રસ્તાવ પર આયોગ કી સહમતિ દી ગઈ।	26/11/2020	09/12/2020
13	62/2015/GS	શ્રમ વિભાગ	છ.ગ. શ્રમ ન્યાયિક સેવા (ભર્તી તથા સેવા કી શર્તો) નિયમ 2015 કે નિયમ 6 કે ઉપનિયમ (2) ખ્ય મેં સંશોધન કિએ જાને બાબત્।	વિભાગીય પ્રસ્તાવ કે પરીક્ષણોપરાંત છ.ગ. શ્રમ ન્યાયિક સેવા (ભર્તી તથા સેવા કી શર્તો) નિયમ 2015 કે નિયમ-6 કે ઉપનિયમ (2) (ખ) કે શુરૂઆતી ભાગ મેં “વરિષ્ઠતા—સહ—ઉપયુક્તતા” કે સ્થાન પર “યોગ્યતા—સહ—વરિષ્ઠતા શબ્દ પ્રતિસ્થાપિત કિયે જાને હેતુ વિભાગ દ્વારા પ્રસ્તાવિત સંશ	11/08/2020	10/12/2020

14	10/2015/GS	वन विभाग	छ.ग. वन सेवा (संयुक्त) परीक्षा नियम 2014 में संशोधन	विभागीय प्रस्ताव के परीक्षणोपरांत छ.ग. वन सेवा (संयुक्त) परीक्षा नियम 2014 के नियम 5 (ख) (2) टीप में किये गये संशोधन प्रस्ताव पर आयोग की सहमति दी गई।	28/01/2021	02/02/2021
15	01/2020/GS	सामान्य प्रशासन विभाग	छ.ग. राज्य प्रशासनिक सेवा (वर्गीकरण, भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2020	विभागीय प्रस्ताव के परीक्षणोपरांत छ.ग. राज्य प्रशासनिक सेवा (कार्यपालिक) वर्गीकरण भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम 2020 बनाये जाने के संशोधन प्रस्ताव पर आयोग की सहमति दी गई।	17/09/2020	12/02/2021
16	180/2020/GS	आबकारी विभाग	छ.ग. आबकारी अधीनस्थ तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम 2018 में संशोधन।	विभागीय प्रस्ताव के परीक्षणोपरांत छ.ग. आबकारी अधीनस्थ तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम 2018 की अनुसूची एक एवं अनुसूची दो तथा नियम 19 परिवीक्षा (1) (क) में किये गये संशोधन प्रस्ताव पर आयोग की सहमति दी जाती है।	12/02/2020	03/03/2021

## परिशिष्ट - छ:

### विभागीय पदोन्नति समिति की आयोजित बैठकों का विवरण (दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक)

स.क्र.	विभागवार पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	विचारक्षेत्र में लिये गये अधिकारियों की संख्या	अनुशंसित अधिकारियों की संख्या
1	2	3	4	5
लोक निर्माण विभाग				
1	उप अभियंता से सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति।	188	53	<b>49</b>
2	अधीक्षण अभियंता(सिविल) से मुख्य अभियंता(सिविल) के पद पर पदोन्नति।	8	15	<b>08</b>
3	कार्यपालन अभियंता(सिविल) से अधीक्षण अभियंता(सिविल) के पद पर पदोन्नति।	25	44	<b>25</b>
4	अधीक्षण अभियंता(वि./या.) से मुख्य अभियंता(वि./या.) के पद पर पदोन्नति।	1	1	<b>1</b>
5	कार्यपालन अभियंता(वि./या.) से अधीक्षण अभियंता(वि./या.) के पद पर पदोन्नति।	1	5	<b>1</b>
6	उप अभियंता(सिविल) से सहायक अभियंता(सिविल) के पद पर पदोन्नति।	9	145	<b>9</b>
कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग				
1	माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक W.P.S. No. 5039/2014 में पारित आदेश दिनांक 12.12.2017 की कंडिका 04 में दिये गये निर्देशानुसार वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी से सहायक संचालक उद्यान के पद पर पदोन्नति।	10	68	<b>8</b>
2	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी से सहायक संचालक उद्यान के पद पर पदोन्नति	13	36	<b>13</b>
3	सहायक संचालक कृषि सांख्यिकी अधिकारी से उप संचालक कृषि सांख्यिकी अधिकारी के पद पर पदोन्नति।	1	1	<b>1</b>
4	सहायक संचालक कृषि से उप संचालक कृषि के पद पर पदोन्नति।	8	25	<b>8</b>
5	सहायक संचालक उद्यान से उप संचालक उद्यान के पद पर पदोन्नति।	1	4	<b>1</b>
6	उप संचालक कृषि से संयुक्त संचालक कृषि के पद पर पदोन्नति	4	12	<b>4</b>
7	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से सहायक संचालक कृषि के पद पर पदोन्नति।	34	75	<b>34</b>
8	शीघ्र लेखक-1 से सहायक संचालक कृषि (स्थापना / लेखा) के पद पर पदोन्नति	1	1	<b>1</b>
9	सहायक सांख्यिकी अधिकारी से सहायक संचालक कृषि (सांख्यिकी) के पद पर पदोन्नति	1	5	<b>1</b>

10	संयुक्त संचालक कृषि(अभियांत्रिकी) से अपर संचालक कृषि (अभियांत्रिकी) के पद पर पदोन्नति।	1	2	<b>1</b>
11	कृषि अभियंता/उप संचालक कृषि (अभियांत्रिकी) से संयुक्त संचालक कृषि (अभियांत्रिकी) के पद पर पदोन्नति।	2	4	<b>2</b>
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग				
1	उपायुक्त एवं समकक्ष पद से अपर संचालक के पद पर पदोन्नति।	5	11	<b>5</b>
2	सहायक आयुक्त एवं समकक्ष पद/अनुसंधान अधिकारी से उपायुक्त के पद पर पदोन्नति।	21	20	<b>17</b>
3	सहायक सांख्यिकी अधिकारी/अनुसंधान सहायक से सहायक अनुसंधान अधिकारी/सहायक नियोजन अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी के पद पर पदोन्नति	7	16	<b>7</b>
4	सहायक संचालक एवं समकक्ष पद से सहायक आयुक्त एवं समकक्ष पद पर पदोन्नति।	14	8	<b>6</b>
5	सहायक नियोजन अधिकारी/सहायक अनुसंधान अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी एवं समकक्ष पद से अनुसंधान अधिकारी/सहायक आयुक्त (योजना) के पद पर पदोन्नति।	8	9	<b>4</b>
6	मण्डल संयोजक पद से क्षेत्र संयोजक के पद पर पदोन्नति।	7	8	<b>5</b>
7	विकासखंड शिक्षा अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त विकास सहायक आयुक्त/शीघ्रलेखक ग्रेड-01/अधीक्षक पद से सहायक संचालक एवं समकक्ष पद पर पदोन्नति।	12	25	<b>12</b>
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग				
1	उप संचालक रोजगार से संयुक्त संचालक रोजगार के पद पर पदोन्नति।	1	5	<b>1</b>
वाणिज्यिक कर आबकारी विभाग				
1	उपायुक्त आबकारी से अपर आयुक्त आबकारी के पद पर पदोन्नति।	1	5	<b>1</b>
2	सहायक आयुक्त आबकारी से उपायुक्त आबकारी के पद पर पदोन्नति।	3	7	<b>3</b>
3	जिला आबकारी अधिकारी से सहायक आयुक्त आबकारी के पद पर पदोन्नति	7	14	<b>7</b>
4	सहायक जिला आबकारी अधिकारी से जिला आबकारी अधिकारी के पद पर पदोन्नति	13	22	<b>13</b>
5	आबकारी उप निरीक्षक से सहायक जिला आबकारी अधिकारी के पद पर पदोन्नति	28	51	<b>28</b>

6	आबकारी उप निरीक्षक से सहायक जिला आबकारी अधिकारी के पद पर पदोन्नति	28	51	<b>28</b>
7	सहायक जिला आबकारी अधिकारी से जिला आबकारी अधिकारी के पद पर पदोन्नति।	2	22	<b>2</b>
वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग				
1	जिला पंजीयन से उप महानिरीक्षक पंजीयक के पद पर पदोन्नति।	1	1	<b>1</b>
खनिज साधन विभाग				
1	सहायक सांख्यिकी अधिकारी से सांख्यिकी विद् के पद पर पदोन्नति।	1	2	<b>1</b>
2	उप संचालक (ख.प्र.) के पद से संयुक्त संचालक (ख.प्र.) के पद पर पदोन्नति।	1	6	<b>1</b>
3	रसायनज्ञ से मुख्य विश्लेषक के पद पर पदोन्नति	2	6	<b>2</b>
4	खनि अधिकारी से उप संचालक (ख.प्र.) के पद पर पदोन्नति।	3	7	<b>3</b>
5	सहायक रसायनज्ञ से रसायनज्ञ के पद पर पदोन्नति	6	2	<b>2</b>
6	(वेधन) यांत्रिकी से सहायक संचालक (वेधन) के पद पर पदोन्नति।	1	1	<b>1</b>
संस्कृति विभाग				
1	उप संचालक के पद पर पदोन्नति	5	5	<b>4</b>
2	उप संचालक से संयुक्त संचालक के पद पर पदोन्नति	2	3	<b>2</b>
जल संसाधन विभाग				
1	बांध निरीक्षक / अनुसंधान सहायक से सहायक अनुसंधान अधिकारी के पद पर पदोन्नति।	7	10	<b>7</b>
2	सहायक अभियंता(वि. / या.) से कार्यपालन अभियंता(वि. / या.) के पद पर रिव्यू पदोन्नति	5	13	<b>4</b>
3	सिंचाई निरीक्षक से नहर प्रति समाहर्ता के पद पर पदोन्नति	3	4	<b>1</b>
4	भू-भौमिकी सहायक से सहायक भू-जल विद् के पद पर पदोन्नति।	3	1	<b>3</b>
5	सहायक अभियंता(वि. / या.) से कार्यपालन अभियंता(वि. / या.) के पद पर पदोन्नति।	6	11	<b>6</b>
6	कार्यपालन अभियंता(वि. / या.) से अधीक्षण अभियंता(वि. / या.) के पद पर पदोन्नति।	2	4	<b>2</b>

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग				
1	जिला परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य अधिकारी/विशेषज्ञ से उप संचालक/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर दिनांक 29.12.2016 को सम्पन्न बैठक की पुनरीक्षित बाबत्।	11	26	<b>11</b>
2	व्याख्याता रोग निदान एवं विकृति विज्ञान से रीडर रोग निदान एवं विकृति विज्ञान के पद पर पदोन्नति।	1	2	<b>1</b>
3	रीडर काय चिकित्सा से प्रोफेसर काय चिकित्सा के पद पर पदोन्नति।	2	1	<b>1</b>
4	व्याख्याता रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना से रीडर रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना के पद पर पदोन्नति।	1	1	<b>1</b>
5	रीडर संहिता सिद्धांत से प्रोफेसर संहिता सिद्धांत के पद पर पदोन्नति।	1	2	<b>1</b>
6	चिकित्सा अधिकारी पद से अस्थि रोग विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति।	129	50	<b>40</b>
7	चिकित्सा अधिकारी पद से चर्म रोग विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति।	1	1	<b>1</b>
8	उप संचालक/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पद से संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ के पद पर पदोन्नति।	11	11	<b>10</b>
9	चिकित्सा अधिकारी पद से नेत्र रोग विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति।	36	29	<b>22</b>
10	चिकित्सा अधिकारी पद से स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति।	189	48	<b>38</b>
11	चिकित्सा विशेषज्ञ एवं जिला परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य अधिकारी से उप संचालक/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदोन्नति।	10	20	<b>10</b>
12	चिकित्सा अधिकारी से जिला परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदोन्नति।	27	38	<b>27</b>
आवास एवं पर्यावरण विभाग				
1	संयुक्त संचालक से अपर संचालक के पद पर पदोन्नति।	1	1	<b>1</b>
2	सहायक संचालक(शोध) से उप संचालक(शोध) के पद पर पदोन्नति।	2	1	<b>1</b>
ग्रामोद्योग विभाग				
1	सहायक संचालक से उप संचालक के पद पर पदोन्नति।	3	5	<b>3</b>
2	फील्ड आफिसर रेशम से सहायक संचालक रेशम के पद पर पदोन्नति।	10	29	<b>10</b>

	जनसंपर्क विभाग			
1	उप संचालक से संयुक्त संचालक के पद पर पदोन्नति।	3	9	3
2	सहायक संचालक से उप संचालक के पद पर पदोन्नति।	2	13	2
3	सहायक जनसंपर्क अधिकारी से सहायक संचालक के पद पर पदोन्नति।	8	5	5
वित्त विभाग				
1	छ.ग. अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग से छ.ग. राज्य सेवा संवर्ग में पदोन्नति।	48	63	43
2	सहायक संचालक से उप संचालक के पद पर पदोन्नति।	3	7	3
3	ज्येष्ठ संपरीक्षक से सहायक संचालक के पद पर पदोन्नति।	8	15	8
4	प्रोग्रामर पद से सिस्टम एनालिस्ट के पद पर पदोन्नति।	1	3	1
सामान्य प्रशासन विभाग				
1	तहसीलदार / अधीक्षक भू-अभिलेख एवं आयुक्त / कलेक्टर कार्यालय के अधीक्षकों से राज्य प्रशासनिक सेवा (डिप्टी कलेक्टर) कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान के पद पर पदोन्नति।	114	27	19
2	तहसीलदार / अधीक्षक भू-अभिलेख एवं आयुक्त / कलेक्टर कार्यालय के अधीक्षकों से राज्य प्रशासनिक सेवा (डिप्टी कलेक्टर) कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान के पद पर पदोन्नति।	63	85	63
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग				
1	सहायक संचालक / प्रबंधक से उप संचालक / महाप्रबंधक के पद पर पदोन्नति।	8	8	7
2	सहायक प्रबंधक से सहायक संचालक प्रबंधक के पद पर पदोन्नति।	18	38	18
3	सहायक पंजीयक से उप पंजीयक के पद पर पदोन्नति।	1	2	1
4	निरीक्षक वाष्पयंत्र से वरिष्ठ निरीक्षक वाष्पयंत्र के पद पर पदोन्नति।	1	1	1
श्रम विभाग				
1	उप श्रमायुक्त से अपर श्रमायुक्त के पद पर पदोन्नति।	2	2	2
2	श्रम पदाधिकारी से सहायक श्रमायुक्त के पद पर पदोन्नति।	2	6	2
3	सहायक श्रम पदाधिकारी से श्रम पदाधिकारी के पद पर पदोन्नति।	17	9	8

4	सहायक श्रमायुक्त से उप श्रमायुक्त के पद पर पदोन्नति।	3	4	<b>3</b>
	चिकित्सा शिक्षा विभाग			
1	सहायक—सह—प्राध्यापक से अधिष्ठाता के पद पर पदोन्नति।	6	4	<b>4</b>
2	प्राध्यापक से सहायक सह—प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति।	11	26	<b>11</b>
3	सहायक संचालक(तकनीकी) से उप संचालक चिकित्सा शिक्षा के पद पर पदोन्नति।	2	2	<b>2</b>
4	प्रदर्शक (संबंधित विषय) से सहायक प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति।	57	15	<b>15</b>
5	सहायक प्राध्यापक (संबंधित विषय) से सह—प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति।	253	56	<b>54</b>
6	सह प्राध्यापक(संबंधित विषय) से प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति।	93	70	<b>52</b>
7	प्राध्यापक से संचालक सह—प्राध्यापक के पद पर पुनरीक्षित बैठक।	11	26	<b>11</b>
	उच्च शिक्षा विभाग			
1	सहायक प्राध्यापक से प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति।	1	1	<b>1</b>
	गृह पुलिस विभाग			
1	निरीक्षक/कंपनी कमाण्डर/रक्षित निरीक्षक/निरीक्षक (रेडियो)/निरीक्षक एमटी/निरीक्षक संवर्ग से उप पुलिस अधीक्षक संवर्ग सहायक सेनानी, उप पुलिस अधीक्षक, रक्षित, उप पुलिस अधीक्षक अंगुली चिन्ह, उप पुलिस अधीक्षक रेडियो के पद पर पदोन्नति।	18	03	<b>03</b>
2	निरीक्षक/निरीक्षक अंगुली चिन्ह संवर्ग से उप पुलिस अधीक्षक संवर्ग के पद पर पदोन्नति।	59	57	<b>38</b>
	मछली पालन विभाग			
1	सहायक मत्त्य अधिकारी से सहायक संचालक के पद पर पदोन्नति।	16	29	<b>16</b>
2	सहायक संचालक से उप संचालक के पद पर पदोन्नति।	2	7	<b>2</b>
	गृह जेल विभाग			
1	परिवीक्षा अधिकारी/कल्याण अधिकारी से वरिष्ठ परिवीक्षा एवं कल्याण अधिकारी के पद पर पदोन्नति।	2	4	<b>2</b>

वन विभाग				
1	वन क्षेत्रपाल से सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति।	20	55	<b>20</b>
2	उप वन क्षेत्रपाल से वन क्षेत्रपाल के पद पर पुनरीक्षित बैठक।	55	48	<b>43</b>
3	अधीक्षक से प्रशासकीय अधिकारी के पद पर पुनरीक्षित बैठक।	2	10	<b>2</b>
4	अधीक्षक से लेखाधिकारी के पद पर पुनरीक्षित बैठक।	3	10	<b>3</b>
5	वन क्षेत्रपाल से सहायक वन संरक्षक के पद पर पुनरीक्षित बैठक।	20	42	<b>19</b>
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग				
1	उप अभियंता/मानविकार से सहायक अभियंता(सिविल) के पद पर पदोन्नति।	114	153	<b>114</b>
2	उप अभियंता (विद्युत) से सहायक अभियंता (विद्युत) के पद पर पदोन्नति।	4	4	<b>4</b>
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग				
1	नायब तहसीलदार से तहसीलदार के पद पर पदोन्नति।	143	77	<b>59</b>
2	सहायक आयुक्त (सांख्यिकी) से उपायुक्त (सांख्यिकी) के पद पर पदोन्नति।	1	1	<b>1</b>
महिला एवं बाल विकास विभाग				
1	सहायक संचालक/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी संवर्ग से उप संचालक/जिला कार्यक्रम अधिकारी संवर्ग के पद पर पदोन्नति।	8	33	<b>8</b>
2	बाल विकास परियोजना अधिकारी संवर्ग से सहायक संचालक/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी संवर्ग के पद पर पदोन्नति।	9	32	<b>9</b>
गृह विभाग				
1	सहायक ग्रेड-3 से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के पद पर दिनांक 05.06.2018 को सम्पन्न पुनरीक्षित बैठक।	23	17	<b>16</b>
पशुधन विकास विभाग				
1	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ से उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें के पद पर पदोन्नति।	5	21	<b>5</b>
छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग				
1	अनुभाग अधिकारी से अवर सचिव के पद पर पदोन्नति।	1	2	<b>1</b>
2	सहायक ग्रेड-1 से अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति।	2	3	<b>2</b>

## परिशिष्ट - सात

### विभागीय जांच/अनुशासनिक कार्यवाही/अपील प्रकरणों का विवरण

**(दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक)**

सं. क्र.	नस्ती क्रमांक	आयोग में प्राप्ति दिनांक	विभाग का नाम	विषय	प्रस्तावित दण्ड जिसमें आयोग की सहमति / असहमति / परामर्श दिया गया है।	आयोग का अभियंता दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
01	127/2019/GS	13.03.2020	जल संसाधन विभाग	श्री लाल बहादुर शाह, तत्का. कार्यपालन अभियंता (वि. / या.) संभाग रायगढ़ को सेवा से हटाये जाने हेतु लिये गये प्रावधिक निर्णय पर सहमति बाबत्।	प्रकरण पर समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि श्री लाल बहादुर शाह, तत्का. कार्यपालन अभियंता (वि. / या.) को गोंड अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति की गई थी। उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति, आ. जा. तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा श्री शाह के गोंड अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र को जांच उपरांत निरस्त किये जाने के फलस्वरूप एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में श्री लाल बहादुर शाह को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(8) के तहत सेवा से हटाये जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	30/04/2020
02	120/2019/GS	03/03/2020	स्कूल शिक्षा विभाग	अनुशासनात्मक कार्यवाही सुश्री इ. तिगा, प्राचर्य शासकीय कन्या उ.मा.वि. लोरमी, जिला मुंगेली।	प्रकरण का समग्र रूप से परीक्षण उपरांत अपचारी अधिकारी सुश्री ई. तिगा प्राचर्य शासकीय कन्या, उ.मा. विद्वालय, लोरमी जिला मुंगेली द्वारा अपने कार्यालय से बिना सूचना दिये अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति रहने एवं छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत कदाचार किये जाने के कारण इनके विरुद्ध छ. ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(4) के तहत आगामी एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय के स्थान पर छ. ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(1) के तहत परिनिदा की शास्ति दिये जाने के निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	04/05/2020

03	126/2019/GS	07/03/2020	જલ સંસાધન વિભાગ	શ્રી એ.લ. કે. રાજતે સહાયક અભિયંતા કે વિરુદ્ધ છ.ગ. સિવિલ સેવા (વર્ગીકરણ, નિયંત્રણ તથા અપીલ) નિયમ 1966 કે તહત એક વેતનવૃદ્ધિ અસંચારી પ્રમાણ સે રોકે જાને સંબંધી પ્રાવિધિક નિર્ણય પર સહમતિ બાબત્।	પ્રકરણ કા સમગ્ર રૂપ સે પરીક્ષણ ઉપરાંત અપચારી અધિકારી શ્રી એ.લ. કે. રાજતે સહાયક અભિયંતા દ્વિતીય શ્રેણી (કાર્યપાલિક) અધિકારી દ્વારા અપને કાર્યો મેં લાપરવાહી બરતને કે ફલસ્વરૂપ ઇનકે વિરુદ્ધ છ.ગ. સિવિલ સેવા (વર્ગીકરણ, નિયંત્રણ તથા અપીલ) નિયમ 1966 ક નિયમ 10(4) કે તહત એક વાર્ષિક વેતનવૃદ્ધિ અસંચારી પ્રમાણ સે રોકે જાને સંબંધી મેં લિયે ગયે પ્રશાસકીય નિર્ણય પર આયોગ કી સહમતિ દી જાતી હૈ।	05/05/2020
04	04/2020/GS	30/04/2020	આદિમ જાતિ તથા અનુસૂચિત જાતિ વિકાસ વિભાગ	50 વર્ષ કી આયુ અથવા 20 વર્ષ કી સેવા પૂર્ણ કરને પર પ્રશાસકીય સેવાઓ કે અભિલેખોની છાનબીન કર પ્રસ્તાવ ભેજને બાબત્।	પ્રકરણ કે પરીક્ષણાપાત્ર પાયા ગયા કી સામાન્ય પ્રશાસન કે આદેશ દિનાંક 25. 04.2017 અનુસાર કિસી અધિકારી/કર્મચારી કો અનિવાર્ય સેવાનિવૃત્ત કરને કે લિયે ઉસ અધિકારી/કર્મચારી કા 1. ઈમાનદારી તથા સંનિષ્ઠા કા સંદેહજનક હોના   2. શારીરિક ક્ષમતા મેં કમી હોના આવશ્યક હૈ   ઉપરોક્ત દોનોં બિન્દુઓની આંકલન અધિકારી/કર્મચારી કે ગોપનીય પ્રતિવેદન સે હી હો સકતા હૈ   વિષાયાંકિત પકરણો મેં દોનોં અધિકારીઓ શ્રી આર. કે. સિદાર કે વર્ષ 2016 સે લેકર વર્ષ 2019 તક) તથા (શ્રી સંકલ્પ સાહૂ કે વર્ષ 2008 સે 2019 તક) 12 વર્ષોની ગોપનીય પ્રતિવેદન કે અભાવ મેં ઈમાનદારી એવં સંનિષ્ઠા તથા શારીરિક ક્ષમતા મેં કમી કા આંકલન એક પ્રકાર સે પૂર્વગ્રહણ હી હોગા   અત: છ.ગ. સિવિલ સેવા (પેંશન) નિયમ 1976 કે નિયમ કે તહત અનિવાર્ય સેવાનિવૃત્તિ હેતુ પર્યાપ્ત એવં સ્પષ્ટ આધાર કે અભાવ મેં આયોગ વિભાગીય પ્રસ્તાવ સે અસહમત હૈ	15/05/2020
05	10/2020/GS	14/05/2020	કૌશલ વિકાસ, તકનીકી શિક્ષા એવં રોજગાર વિભાગ	શ્રી રમન મેહર પ્રભારી પ્રાચાર્ય, શાસકીય પાલીટેકનિક બીજાપુર કે વિરુદ્ધ પરિનિન્દા કી શાસ્ત્રી અધિરોપિત કરને બાબત્।	વિભાગ સે પ્રાપ્ત પ્રસ્તાવ કા પરીક્ષણ કિયા ગયા તદનુસાર શ્રી રમન મેહર, પ્રભારી પ્રાચાર્ય, શાસકીય પાલીટેકનિક, બીજાપુર દ્વારા શ્રી ભૂપેશ કુમાર પૈંકરા, વ્યાખ્યાતા (ઇલેક્ટ્રિકલ) કો સી.એસ.પી.ટી.એલ. મેં સહાયક અભિયંતા કે પદ પર કાર્યભાર ગ્રહણ કરને હેતુ રાજ્ય શાસન સે ત્યાગ પત્ર સ્વીકૃત હુયે બિના નિયમ વિરુદ્ધ ભારમુકત કિયે જાને કે ફલસ્વરૂપ છ.ગ. સિવિલ સેવા (વર્ગીકરણ, નિયંત્રણ તથા અપીલ) નિયમ 1966 કે નિયમ 10(એક) કે તહત પરિનિન્દા કી શાસ્ત્રી સે દંડિત કિયે જાને કે પ્રશાસકીય નિર્ણય પર આયોગ કી સહમતિ દી જાતી હૈ।	27/05/2020

06	15/2020/GS	18/05/2020	जल संसाधन विभाग	जिला—राजनांदगांव, अंतर्मत खातूटोला बैराज में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की जांच एवं कार्यवाही – पेंशन नियम के तहत लिये गये निर्णय पर आयोग की सहमति बाबत।	प्रकरण का समग्र रूप से परीक्षण उपरांत अपने कार्यों में लापरवाही एवं अनियमितता बरते जाने के फलस्वरूप अपचारी अधिकारी श्री ए.डी.वैष्णव, तत्का. कार्यपालन अभियंता (सेवानिवृत्त) के विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के नियम 9 के तहत 10 प्रतिष्ठ पेंशन 01 वर्ष तक रोके जाने एवं श्री आर.पी.चौधे, तत्का. अनुविभागीय अधिकारी के दिनांक 31.05.2020 को सेवानिवृत्त सन्निकट होने को दृष्टिगत रखते हुए एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के स्थान पर इसके समतुल्य राशि, इनके वेतन/देय स्वत्वों से वसूल किये जाने संबंधी लिये गये प्रावधिक निर्णय पर आयोग से सहमति दी जाती है।	27/05/2020
07	122/2019/GS	03/03/2020	जल संसाधन विभाग	श्री बी.आर.गोटी, से.नि. सहायक अभियंता के विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के तहत 05 प्रतिष्ठ राशि एक वर्ष तक रोके जाने संबंधी प्रावधिक निर्णय पर सहमति बाबत।	प्रकरण का समग्र रूप से परीक्षण उपरांत अपचारी अधिकारी श्री बी.आर.गोटी, तत्का. अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने कार्यों में लापरवाही एवं अनियमितता बरते जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के नियम 9 के तहत उनके पेंशन की 05 प्रतिशत राशि 01 वर्ष तक रोके जाने हेतु लिये गये प्रावधिक निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	30/05/2020
08	08/2020/GS	14/05/2020	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	अनुशासनात्मक कार्यवाही— श्री अमरचंद बर्मन, तत्का. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला—बलौदाबाजार—भाटापारा।	प्रकरण का समग्र रूप से परीक्षण उपरांत अपचारी अधिकारी श्री अमरचंद बर्मन, तत्का. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला बलौदाबाजार—भाटापारा छ.ग. द्वारा अपने कार्यों में बरती गई लापरवाही के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(4) के तहत 02 वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने” की शास्ति अधिरोपित किये जाने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	03/06/2020
09	07/2020/GS	12/05/2020	सामान्य प्रशासन विभाग	अनुशासनात्मक कार्यवाही— श्रीमती यामिनी पाण्डेय गुप्ता, (रा.प्र.से.) तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर, दुर्ग।	प्रकरण का समग्र रूप से परीक्षण उपरांत अपचारी अधिकारी श्रीमती यामिनी पाण्डेय गुप्ता (रा.प्र.से.), तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर, दुर्ग द्वारा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(1) के तहत परिनिंदा की शास्ति से दण्डित किये जाने” हेतु लिये गये अनंतिम (प्रावधिक) निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	03/06/2020

10	16/2020/GS	21/05/2020	આવાસ એવ પર્યાવરણ વિભાગ	વિભાગીય જાંચ – શ્રી નારાયણ સિંહ ટાકુર, સહાયક સંચાલક, નગર તથા ગ્રામ નિવેશ।	વિભાગ સે પ્રાપ્ત પ્રસ્તાવ કા પરીક્ષણ કિયા ગયા તદનુસાર શ્રી નારાયણ સિંહ ટાકુર, નગર તથા ગ્રામ નિવેશ, ક્ષેત્રીય કાર્યાલય, અધિકારીપુરુ દ્વારા અનાધિકૃત વિકાસ કે પ્રકરણો મેં અનિયમિતતા કિયે જાને કે ફલસ્વરૂપ છ.ગ. સિવિલ સેવા (વર્ગીકરણ, નિયંત્રણ તથા અપીલ) નિયમ 1966 કે નિયમ 10(1) કે તહેત “પરિનિદા” કી લઘુ શાર્સિત સે દંડિત કિયે જાને કે પ્રશાસકીય નિર્ણય પર આયોગ કી સહમતિ દી જાતી હૈ।	03/06/2020	
11	05/2020/GS	05/05/2020	ઉચ્ચ શિક્ષા વિભાગ	વિભાગીય જાંચ પ્રકરણ—શ્રી ભાગીરથ કુર્ર, સહાયક પ્રાધ્યાપક, હિન્દી, શાસકીય મહાવિદ્યાલય મૈસમા કે દ્વારા નિયુક્તિ કે તિએ જાતી અંક સૂચી પ્રસ્તુત કરને કે ફલસ્વરૂપ ઇનકે વિરુદ્ધ છત્તીસપાઢ સિવિલ સેવા (વર્ગીકરણ, નિયંત્રણ તથા અપીલ) નિયમ 1966 કે નિયમ 10 કે અંતર્ગત સેવા સે પૃથક કરને કી શાર્સિત અધિરોપિત કિયે જાને હેતુ તિયે ગયે પ્રશાસકીય નિર્ણય પર આયોગ કી સહમતિ દી જાતી હૈ।	પ્રકરણ કા સમગ્ર રૂપ સે પરીક્ષણ ઉપરાંત અપચારી અધિકારી શ્રી ભાગીરથ કુર્ર, સહાયક પ્રાધ્યાપક, હિન્દી, શાસકીય મહાવિદ્યાલય મૈસમા કે દ્વારા નિયુક્તિ કે તિએ જાતી અંક સૂચી પ્રસ્તુત કરને કે ફલસ્વરૂપ ઇનકે વિરુદ્ધ છત્તીસપાઢ સિવિલ સેવા (વર્ગીકરણ, નિયંત્રણ તથા અપીલ) નિયમ 1966 કે નિયમ 10 કે અંતર્ગત સેવા સે પૃથક કરને કી શાર્સિત અધિરોપિત કિયે જાને હેતુ તિયે ગયે પ્રશાસકીય નિર્ણય પર આયોગ કી સહમતિ દી જાતી હૈ।	04/06/2020	
12	19/2020/GS	29/05/2020	આદિમ જાતિ તથા અનુસૂચિત જાતિ વિકાસ વિભાગ	અનશાસનાત્મક કાર્યવાહી શ્રી બી.કે.રાજપૂત, તત્કાલીન સહાયક આયુક્ત આદિવાસી વિકાસ રાયગઢ એવ શ્રી અતુલ પાણ્ડેય, તત્કાલીન પ્રભારી સહાયક સંચાલક, આદિવાસી વિકાસ જિલા—રાયગઢ।	આયોગ ને નિષ્કર્ષ દિયા કે શ્રી રાજપૂત કે વિરુદ્ધ અધિરોપિત આરોપ કમાંક 01 એવ આરોપ કમાંક 02 સિદ્ધ નહીં હોતા હૈ   અત: શાસન કો હુર્દ વિત્તીય ક્ષતિ રાશિ રૂપયે 2,97,840/- કી 50 પ્રતિશત રાશિ અર્થાત્ રૂપયે 1,48,920/- કી વસૂલી કિયે જાને હેતુ તિયે ગયે પ્રશાસકીય નિર્ણય પર અસહમતિ વ્યક્ત કી જાતી હૈ।	17/06/2020	
13	20/2020/GS	02/06/2020	પંચાયત એવ ગ્રામીણ વિકાસ વિભાગ	વિભાગીય જાંચ વિરુદ્ધ— શ્રી પી. આર.ટાકુર, તત્કાલીન કાર્યપાલન અભિયંતા, પરિયોજના કિયાન્વયન ઇકાઈ, છ.ગ. ગ્રામીણ સડક વિકાસ અભિકરણ, બેમેતરા દ્વારા અપને કાર્યો મેં કિયે ગયે વિત્તીય અનિયમિતતા કે ફલસ્વરૂપ ઇનકે વિરુદ્ધ છ.ગ. સિવિલ સેવા (વર્ગીકરણ, નિયંત્રણ તથા અપીલ) નિયમ 1966 કે નિયમ 10(4) કે તહેત 01 વાર્ષિક વેતનવુદ્ધ અસંચયી પ્રભાવ સે રોકે જાને” કી શાર્સિત અધિરોપિત કિયે જાને હેતુ તિયે ગયે પ્રશાસકીય નિર્ણય પર આયોગ કી સહમતિ દી જાતી હૈ।	આયોગ ને પ્રકરણ કે પરીક્ષણોપરાંત નિષ્કર્ષ દિયા કે શ્રી પી.આર.ટાકુર, તત્કાલીન કાર્યપાલન અભિયંતા, પરિયોજના કિયાન્વયન ઇકાઈ, છ.ગ. ગ્રામીણ સડક વિકાસ અભિકરણ, બેમેતરા દ્વારા અપને કાર્યો મેં કિયે ગયે વિત્તીય અનિયમિતતા કે ફલસ્વરૂપ ઇનકે વિરુદ્ધ છ.ગ. સિવિલ સેવા (વર્ગીકરણ, નિયંત્રણ તથા અપીલ) નિયમ 1966 કે નિયમ 10(4) કે તહેત 01 વાર્ષિક વેતનવુદ્ધ અસંચયી પ્રભાવ સે રોકે જાને” કી શાર્સિત અધિરોપિત કિયે જાને હેતુ તિયે ગયે પ્રશાસકીય નિર્ણય પર આયોગ કી સહમતિ દી જાતી હૈ।	25/06/2020	
14	26/2020/GS	11/06/2020	પશુધન વિકાસ વિભાગ	અનુશાસનાત્મક કાર્યવાહી વિરુદ્ધ ડૉ. વ્હી. કે. પટેલ, ઉપ સંચાલક પશુ ચિકિત્સા સેવાયે, જિલા જાંજગાર—ચાંપા।	પ્રકરણ કા પરીક્ષણ કિયા ગયા   પરીક્ષણોપરાંત આયોગ ને નિષ્કર્ષ દિયા હૈ કે ડૉ. વ્હી. કે. પટેલ કે પ્રકરણ મેં વિભાગીય જાંચ નહીં કિયા ગયા હૈ, ઔર ન હી અપચારી અધિકારી કો પ્રત્યક્ષ રૂપ સે દોષી પાયા ગયા હૈ, કેવલ કર્તવ્ય કે પ્રતિ લાપરવાહી એવ ઉદારીનતા સે પશુઓની મૃત્યુ હોના બતાયા ગયા હૈ। પ્રકરણ મેં પરિનિન્દા કી શાર્સિત કે સાથ જીવન નિર્વાહ ભરતી કે અતિરિક્ત અન્ય રાશિ અદેય રખને કા નિર્ણય દીઘશાર્સિત કે અંતર્ગત આતા હૈ જો ઉચિત નહીં હોગા। અત: અપચારી અધિકારી કો પરિનિન્દા કી શાર્સિત દિયે જાને પર આયોગ કી સહમતિ દી જાતી હૈ।	પ્રકરણ કા પરીક્ષણ કિયા ગયા   પરીક્ષણોપરાંત આયોગ ને નિષ્કર્ષ દિયા હૈ કે ડૉ. વ્હી. કે. પટેલ કે પ્રકરણ મેં વિભાગીય જાંચ નહીં કિયા ગયા હૈ, ઔર ન હી અપચારી અધિકારી કો પ્રત્યક્ષ રૂપ સે દોષી પાયા ગયા હૈ, કેવલ કર્તવ્ય કે પ્રતિ લાપરવાહી એવ ઉદારીનતા સે પશુઓની મૃત્યુ હોના બતાયા ગયા હૈ। પ્રકરણ મેં પરિનિન્દા કી શાર્સિત કે સાથ જીવન નિર્વાહ ભરતી કે અતિરિક્ત અન્ય રાશિ અદેય રખને કા નિર્ણય દીઘશાર્સિત કે અંતર્ગત આતા હૈ જો ઉચિત નહીં હોગા। અત: અપચારી અધિકારી કો પરિનિન્દા કી શાર્સિત દિયે જાને પર આયોગ કી સહમતિ દી જાતી હૈ।	26/06/2020

15	32/2020/GS	17/06/2020	जल संसाधन विभाग	श्री महेश हेडाऊ, कार्यपालन अभियंता को सेवा से हटाये जाने हेतु लिये गये प्रावधिक निर्णय पर सहमति बाबत।	आयोग ने प्रकरण के परीक्षणोपरांत निष्कर्ष दिया कि श्री महेश हेडाऊ, कार्यपालन अभियंता द्वारा प्रस्तुत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आवेदन दिनांक 29.12.2007 को अमान्य करते हुए, इनकी नियुक्ति निरस्त कर, छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10(8) निहित प्रावधानांतर्गत सेवा से हटाये जाने हेतु लिये गये प्रावधिक निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	04/07/2020
16	208/2018/GS	24/06/2020	गृह (जेल) विभाग	रिट पिटिशन (सी.) डब्ल्यू पी.ओ. 202/09 दिलसाय आ. बुधराम विरुद्ध छ.ग. शासन में पारित आदेश दिनांक 25.01.2011 के परिप्रेक्ष्य में श्री राजेन्द्र कुमार गायकवाड़, जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल जगदलपुर के विरुद्ध विभागीय जांच बाबत।	प्रकरण के समग्र रूप से परीक्षणोपरांत अपवारी अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार गायकवाड़ जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल अंबिकापुर के विभागीय आदेश दिनांक 01.05.2019 द्वारा आगामी 02 वेतनवृद्धि संचायी प्रभाव से रोके जाने की अधिरोपित शास्ति के विस्त्र प्रस्तुत अपील दिनांक 14.05.2019 को अमान्य किये जाने हेतु लिये गये विभागीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	06/07/2020
17	50/2020/GS	24/06/2020	गृह विभाग	दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की दण्ड के विरुद्ध सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) 1966 के अंतर्गत अपील प्रस्ताव प्रस्तुत करने बाबत श्री नेमीचंद मैरिषा, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भाटापारा, जिला—बलौदाबाजार (छ.ग.)	प्रकरण के समग्र रूप से परीक्षणोपरांत अपवारी अधिकारी श्री नेमीचंद मैरिषा, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भाटापारा, जिला—बलौदाबाजार (छ.ग.) का प्रस्तुत अपील आवेदन दिनांक 09.05.2019 को परिशीलन पश्चात अस्वीकार कर एवं संचालक, लोक अभियोजन के आदेश दिनांक 27.03.2019 द्वारा दिये गये दंड से सहमत होकर श्री नेमीचंद मैरिषा, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, भाटापारा — बलौदाबाजार का प्रस्तुत अपील आवेदन दिनांक 09.05.2019 को नियमानुकूल न होने से निरस्त (अमान्य) किये जाने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	07/07/2020
18	53/2020/GS	27/06/2020	जल संसाधन विभाग	लाईट मशीनरी नलकूप उपसंभाग बैकुण्ठपुर अंतर्गत भ्रष्टाचार के विरुद्ध वसूली / शास्ति संबंधी प्रावधिक निर्णय पर आयोग की सहमति / अभिमत बाबत।	आयोग ने प्रकरण के परीक्षणोपरांत निष्कर्ष दिया कि सर्वश्री यू. एस. राम, तत्का. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बैकुण्ठपुर के विरुद्ध रूपये 158741/- की वसूली एवं एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने एवं आर. के. शर्मा तत्का. अनुविभागीय अधिकारी, से.नि. (वि. / या.) लाईट मशीनरी नलकूप उपसंभाग बैकुण्ठपुर के विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 9 के तहत शासकीय क्षति राशि रूपये 61676.75 एवं एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से समतुल्य राशि की वसूली पेंशन / देय स्वतंत्रों से किये जाने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	07/07/2020

19	49/2020/GS	24/06/2020	ગૃહ જેલ વિભાગ	શ્રી એસ.એસ. તિગા, જેલ અધીક્ષક, કેન્દ્રીય જેલ બિલાસપુર કે વિરુદ્ધ છ.ગ. સિવિલ સેવા (વર્ગીકરણ નિયત્રણ તથા અપીલ) નિયમ 1966 કે અંતગ્રત અનુશાસનાત્મક કાર્યવાહી કરને બાબત્।	આયોગ ને પ્રકરણ કે પરીક્ષણોપરાત નિષ્કર્ષ દિયા કી શ્રી એસ.એસ.તિગા, જેલ અધીક્ષક, કેન્દ્રીય જેલ બિલાસપુર, દ્વારા અપને કાર્યો મેં લાપરવાહી બરતે જાને એવ છ.ગ. સિવિલ સેવા (આચરણ) નિયમ 1965 કે નિયમ 3 કા ઉલ્લંઘન કિયે જાને કે ફલસ્વરૂપ ઇનકે વિરુદ્ધ છ.ગ. સિવિલ સેવા (વર્ગીકરણ, નિયંત્રણ તથા અપીલ) નિયમ 1966 કે નિયમ 10(4) કે તહત 01 વાર્ષિક વેતનવૃદ્ધિ અસંચયી પ્રભાવ સે રોકે જાને“ કી શાસ્ત્રિ અધિરોપિત કિયે જાને હેતુ લિયે ગયે પ્રશાસકીય નિર્ણય પર આયોગ કી સહમતિ દી જાતી હૈ।	08/07/2020
20	65/2020/GS	10/07/2020	સ્વાસ્થ્ય એવ પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ	ડૉ. રાજીવ કુમાર સક્સેના (નિશ્ચેતના વિશેષજ્ઞ) તત્કાં પ્રભારી સીએમઓ રાજનાંદગાંવ વર્તમાન મેં પ્રભારી ઉપરસ્થાનક સંચાલનાલય સ્વાસ્થ્ય સેવાયે એવ અન્ય કે વિરુદ્ધ અનુશાસનાત્મક કાર્યવાહી બાબત્। (ડૉ. રાજીવ કુમાર સક્સેના)	પ્રકરણ કા પરીક્ષણ કિયા ગયા। પરીક્ષણોપરાત આયોગ ને નિષ્કર્ષ દિયા હૈ કી ડૉ. રાજીવ કુમાર સક્સેના દ્વારા વર્ષ 2011 મેં ફાર્માસિસ્ટ ગ્રેડ-02 કે 21 પદ એવ બહુદદેશીય સ્વાસ્થ્ય કાર્યકર્તા (મહિલા) કે 20 અનુસૂચિત જનજાતિ વર્ગ કે લિએ રિક્ત પદોની પૂર્તિ કિયે જાને કે ફલસ્વરૂપ છ.ગ. સિવિલ સેવા (વર્ગીકરણ, નિયંત્રણ એવ અપીલ) નિયમ 1966 કે નિયમ 10 કે તહત 02 વેતનવૃદ્ધિ સંચયી પ્રભાવ સે રોકે જાને કે પ્રકરણ પર આયોગ કી સહમતિ દી જાતી હૈ।	14/08/2020
21	66/2020/GS	09/07/2020	પંચાયત એવ ગ્રામીણ વિકાસ વિભાગ	વિભાગીય જાંચ વિરુદ્ધ— શ્રી એ.કે.ચૌધરી, તત્કાલીન પ્રભારી કાર્યપાલન અભિયંતા, શ્રી આર.બી.સોની, તત્કાલીન સહાયક અભિયંતા કે વિરુદ્ધ છ.ગ. સિવિલ સેવા (વર્ગીકરણ, નિયંત્રણ તથા અપીલ) નિયમ, 1966 કે નિયમ 10(4) કે તહત એક-એક વાર્ષિક વેતનવૃદ્ધિ અસંચયી પ્રભાવ સે રોકે જાને કી શાસ્ત્રિ અધિરોપિત કિયે જાને હેતુ લિયે ગયે પ્રશાસકીય નિર્ણય પર આયોગ કી સહમતિ દી જાતી હૈ।	19/08/2020	
22	63/2020/GS	10/07/2020	ગૃહ વિભાગ	વિભાગીય જાંચ શ્રી રામલખન સિંહ સેંગર, સેવાનિવૃત્ત સંયુક્ત સંચાલક અભિયોજન કે વિરુદ્ધ।	આયોગ ને નિષ્કર્ષ દિયા કી શ્રી રામ લખન સિંહ સેંગર, સે.નિ. સંયુક્ત સંચાલક અભિયોજન ને અપની ગલતી સ્વયં સ્વીકાર કી હૈ। અતે: વિભાગ દ્વારા શ્રી રામ લખન સિંહ સેંગર કે વિરુદ્ધ છ.ગ.સિવિલ સેવા (પેશન) નિયમ 1976 કે ઉપ નિયમ-9 કે તહત 5 પ્રતિશત પેશન એક વર્ષ કે લિએ રોકે જાને કે સંબંધ મેં લિયે ગયે અંતિમ પ્રશાસકીય નિર્ણય પર સહમતિ દી જાતી હૈ।	20/08/2020

23	38/2020/GS	24/06/2020	गृह जल विभाग	विभागीय जांच विरुद्ध— श्री बूंदराम पाटले, जूनियर स्टॉफ आफिसर (जिला सेनानी) नगर सेना के विरुद्ध अधिरोपित शास्ति के संबंध में छ.ग. लोक सेवा आयोग का अभिमत प्राप्त करने बाबत्।	आयोग ने प्रकरण के परीक्षणोपरात निष्कर्ष दिया कि “श्री बूंदराम पाटले, जूनियर स्टॉफ ऑफिसर द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आवरण) नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 10 (नौ) में प्रावधानित “सेवा से पदच्युत (Dismissal) करने” की शास्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है। ”	25/08/2020
24	61/2020/GS	02/07/2020	स्कूल शिक्षा विभाग	लोक आयोग प्रकरण क्रमांक 126 / 2014 के संबंध में – श्री एम. आर. खांडे, तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी कांकेर।	आयोग ने प्रकरण के परीक्षणोपरात निष्कर्ष दिया कि “विभाग द्वारा श्री एम. आर. खांडे, तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, कांकेर, को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10(9) के तहत सेवा से पदच्युत किये जाने की शास्ति अधिरोपित किये जाने के उपरांत कार्योत्तर सहमति हेतु प्रेषित उक्त प्रकरण में आयोग की सहमति दी जाती है।”	19/07/2019
25	74/2020/GS	14/08/2020	जल संसाधन विभाग	श्री एन.सी.सिंह, कार्यपालन अभियंता के विरुद्ध “परिनिंदा” की शास्ति अधिरोपित करने संबंधी प्रावधिक निर्णय पर आयोग की सहमति बाबत।	आयोग ने निष्कर्ष दिया कि श्री एन.सी.सिंह, कार्यपालन अभियंता द्वारा अपने कार्यों में लापरवाही एवं उदासीनता बरते जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-10(1) के तहत परिनिंदा की शास्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	09/09/2020
26	201/2018/GS	29/08/2020	वाणिज्यिक विभाग	श्री आर. एन. साय, संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, बिलासपुर संभाग क्रमांक 01 के विरुद्ध अधिरोपित एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव के स्थान पर परिनिंदा की शास्ति प्रदान किये जाने के संबंध में।	प्रकरण का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरांत आयोग ने निष्कर्ष दिया है कि श्री आर. एन. साय द्वारा प्रस्तुत अपील अभ्यायेदन पर विचारोपरांत यह पाया गया कि एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अपचारी अधिकारी के दोष के अनुपात में काफी कठोर है। श्री साय के विरुद्ध अधिरोपित एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति को परिवर्तित कर छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(1) में उल्लेखित परिनिंदा शास्ति अधिरोपित करते हुये प्रकरण समाप्त किये जाने के प्रकरण पर आयोग की सहमति दी जाती है।	09/09/2020

27	78/2020/GS	31/08/2020	કૃષિ વિકાસ એવં કિસાન કલ્યાણ તથા જैવ પ્રૌદ્યોગિકી વિભાગ	કૃષિ યંત્રી બિલાસપુર/સરગુજા સંભાગ કે શ્રી જાગેન્દ્ર લાલ કૃષિ યંત્રી કે વિરુદ્ધ શિકાયત પર કાર્યવાહી બાબત્।	પ્રકરણ કા પરીક્ષણ કિયા ગયા। પરીક્ષણોપરાંત આયોગ ને નિષ્કર્ષ દિયા હૈ કે શ્રી જાગેન્દ્ર લાલ કૃષિ યંત્રી દ્વારા કૃષક કો સમય પર યોજના કા લાભ નહીં દિયે જાને કે ફલસ્વરૂપ છ.ગ. સિવિલ સેવા (વર્ગીકરણ, નિયંત્રણ તથા અપીલ) નિયમ 1966 કે નિયમ 10(ચાર) કે તહત “દો વાર્ષિક વેતનવૃદ્ધિ અસંચયી પ્રભાવ સે રોકે જાને કે પ્રસ્તાવ પર આયોગ કી સહમતિ દી જાતી હૈ।	18/09/2020
28	77/2020/GS	18/08/2020	ઉચ્ચ શિક્ષા વિભાગ	વિભાગીય જાંચ પ્રકરણ શ્રી ભાગીરથી કુર્રે, સહાયક પ્રાધ્યાપક હિન્દી શાસકીય મહાવિદ્યાલય ભેંસમા	આયોગ ને નિષ્કર્ષ દિયા કે શ્રી ભાગીરથી કુર્રે, સહાયક પ્રાધ્યાપક દ્વારા ફર્જી અંકસૂચી કે આધાર પર સહાયક પ્રાધ્યાપક કે પદ પર નિયુક્તિ હાસિલ કરને કે આરોપ મેં ઇનકે વિરુદ્ધ વિભાગીય જાંચ સંસ્થિત કી ગઈ હૈ। ચૂંકિ શ્રી કુર્રે કે વિરુદ્ધ પૂર્વ મેં ભી ઇસી પ્રકરણ પર વિભાગીય જાંચ કિયા જાકર આયોગ કી સહમતિ કે આધાર પર શાસકીય સેવા સે પૃથક કરને કી શાર્ટ અધિરોપિત કી ગઈ થી। અતઃ ઇસ પ્રકરણ મેં ભી ઉસી પ્રકરણ કે અનુરૂપ વિભાગીય (પ્રશાસકીય) નિર્ણય પર આયોગ કી સહમતિ દિયા જાના આવશ્યક નહીં હૈ, ક્યારોકિ પૂર્વ મેં ઇસી આરોપ કે પ્રકરણ મેં શ્રી કુર્રે કો સેવા સે પૃથક કરને કી શાર્ટ અધિરોપિત કિયે જાને હેતુ લિયે ગયે પ્રશાસકીય નિર્ણય પર આયોગ કી સહમતિ દી જા ચુકી હૈ।	21/09/2020
29	89/2020/GS	16/09/2020	ગૃહ જેલ વિભાગ	વિભાગીય જાંચ બાબત્ – શ્રી શિવન રામ ઠાકુર, ઉપ જેલ અધીક્ષક કે વિરુદ્ધ એક વેતનવૃદ્ધિ સંચયી પ્રભાવ સે રોકે જાને કે દણ્ડ પર સહમતિ બાબત્।	આયોગ ને નિષ્કર્ષ દિયા કે શ્રી શિવન રામ ઠાકુર, ઉપ જેલ અધીક્ષક દ્વારા શાસકીય કર્તબ્યો મેં લાપરવાહી કિયે જાને એવં માનનીય વિષે ન્યાયાલય કે નિર્દેશો કી અવહેલના કિયે જાને કે ફલસ્વરૂપ ઇનકે વિરુદ્ધ છ.ગ. સિવિલ સેવા (વર્ગીકરણ, નિયંત્રણ તથા અપીલ) નિયમ 1966 કે નિયમ 10 (5) કે તહત એક વેતનવૃદ્ધિ સંચયી પ્રભાવ સે રોકે જાને હેતુ લિયે ગયે પ્રશાસકીય નિર્ણય પર આયોગ કી સહમતિ દી જાતી હૈ।	26/10/2020
30	98/2020/GS	07/10/2020	રાજસ્વ એવં આપદા પ્રબંધન વિભાગ	અનુશાસનાત્મક કાર્યવાહી—શ્રી બલરાજ સિંહ, તત્કાલીન નાયબ તહસીલદાર, સિંગરાલી (બેઢન), જિલા—સીધી દ્વારા અપને કાર્યો મેં લાપરવાહી બરતે જાને એવં વિત્તીય અનિયમિતતા કિયે જાને કે ફલસ્વરૂપ ઇનકે વિરુદ્ધ છ.ગ. સિવિલ સેવા (પેંશન) નિયમ 1976 કે નિયમ 9 અંતર્ગત કાર્યવાહી કરતે હુયે, ઉનકી પેંશન સે 5 પ્રતિશત રાશિ જીવન પર્યન્ત કટૌતી કિયે જાને હેતુ લિયે ગયે પ્રશાસકીય નિર્ણય પર આયોગ કી સહમતિ દી જાતી હૈ।	21/10/2020	

31	95/2020/GS	03/10/2020	गृह पुलिस विभाग	विभागीय जांच बाबत – श्रीमती रागिनी मिश्रा, तत्कालीन उप पुलिस अधीक्षक (अजाक) रायपुर, हाल–सेवानिवृत्त।	आयोग ने निष्कर्ष दिया कि श्रीमती रागिनी मिश्रा, तत्कालीन उप पुलिस अधीक्षक (अजाक) रायपुर, हाल–सेवानिवृत्त के द्वारा अपने कार्यों में भ्रष्ट कदाचरण एवं अषोभनीय आचरण का परिचय देते हुए छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 03 की कांडिका 1,2,3 का उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 9 के तहत उनकी पेंशन से 01 प्रतिशत राशि 01 वर्ष के लिए रोके जाने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	26/10/2020
32	193/2018/GS	06/10/2020	मछलीपालन विभाग	विभागीय जांच विरुद्ध श्री ए. के. सिंह, सेवानिवृत्त उप संचालक (तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मत्स्य कृषक विकास अभियान दुर्ग।	प्रकरण का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरांत आयोग ने निष्कर्ष दिया है कि श्री ए. के. सिंह (तत्कालीन) उप संचालक को प्रकरण में दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप उक्त दण्ड अप्रभावी होने के कारण छ.ग. सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के पेंशन नियम 9(1) के प्रावधानानुसार न्यूनतम स्थीकृत पेंशन 90 प्रतिशत के अतिरिक्त 10 प्रतिशत शेष पेंशन को राजसात (स्थायी रूप से रोक जाने) का दंड अधिरोपित किये जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	26/10/2020
33	104/2020/GS	19/10/2020	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	डॉ.वाय.के.ध्रुव, सर्जरी विशेषज्ञ तदर्थ, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोणडागांव, जिला कोणडागांव के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में।	प्रकरण का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरांत आयोग ने निष्कर्ष दिया है कि दोनों अधिकारियों द्वारा अपने कार्यों में लापरवाही बरती जाकर नियम विरुद्ध नियुक्ति किये जाने के फलस्वरूप कमशः डॉ. आर. एन. पाण्डे, सेवानिवृत्त तत्कालीन संभागीय संयुक्त संचालक, संभाग बस्तर के विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 09 के तहत उनकी 05 प्रतिशत पेंशन 01 वर्ष के लिये रोकने की शास्ति अधिरोपित करने तथा डॉ. वाय. के. ध्रुव तत्कालीन प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोणडागांव के विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(चार) के तहत “दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के प्रस्ताव पर आयोग की सहमति दी जाती है।	31/10/2020

34	99/2020/GS	19/10/2020	સ્વાસ્થ્ય એવં પરિવાર કળ્યાણ વિભાગ	<p>બિલાસપુર જિલે કે તખતપુર વિકાસખંડ મેં દિનાંક 08.11.2014 કો આયોજિત નસબદી શિવિર મેં 11 મરીજોની અકાલ મૃત્યુ કે સંબંધ મેં। (ડૉ. પ્રમોદ તિવારી)</p>	<p>પ્રકરણ કા પરીક્ષણ કિયા ગયા। પરીક્ષણોપરાંત આયોગ ને નિષ્કર્ષ દિયા હૈ કે ડૉ. પ્રમોદ તિવારી, શિશુરોગ વિશેષજ્ઞ (તત્કાલીન પ્રભારી ખંડ વિકિત્સા અધિકારી) સામુદાયિક સ્વારથ્ય કેન્દ્ર, તખતપુર, જિલા બિલાસપુર છ.ગ. દ્વારા બિલાસપુર જિલે કે તખતપુર વિકાસખંડ મેં દિનાંક 08.11.2014 કો આયોજિત નસબદી શિવિર મેં 11 મરીજોની અકાલ મૃત્યુ કે સંબંધ મેં સરિથત વિભાગીય જાંચ પ્રકરણ મેં અપને કાર્યો કે પ્રતિ લાપરવાહી બરતે જાને એવં છ.ગ. સિવિલ સેવા આચરણ નિયમ 1965 કે નિયમ 3 કા ઉલ્લંઘન કિયે જાને કે ફલસ્વરૂપ ઇનકે વિરુદ્ધ છ.ગ. સિવિલ સેવા (વર્ગીકરણ, નિયંત્રણ એવં અપીલ) નિયમ 1966 કે નિયમ 10(પાંચ) કે તહેત 02 વેતન વૃદ્ધિ સંચારી પ્રભાવ સે રોકે જાને કે પ્રકરણ પર આયોગ કી સહમતિ દી જાતી હૈ।</p>	31/10/2020
35	101/2020/GS	14/10/2020	સહકારિતા વિભાગ	<p>શ્રી પી. કે. મેશ્રામ અંકેશ્ણ અધિકારી કાર્યાલય ઉપ પંજીયક સહકારી સંસ્થાએ બાલોદ દ્વારા રિટર્નિંગ અધિકારી કે રૂપ મેં ત્રુટિપૂર્ણ આર્ક્ષણ કરને કે કારણ ઉનકે વિરુદ્ધ અધિરોપિત દણ્ડ પર સહમતિ।</p>	<p>આયોગ ને પ્રકરણ કે પરીક્ષણોપરાંત નિષ્કર્ષ દિયા કે શ્રી પી. કે. મેશ્રામ, અંકેશ્ણ અધિકારી દ્વારા કિયે ગયે ઉક્ત કૃત્ય કે લિયે છ.ગ. સિવિલ સેવા (વર્ગીકરણ, નિયંત્રણ તથા અપીલ) નિયમ 1966 કે નિયમ 10(4) કે તહેત 02 વેતનવૃદ્ધિ અસંચારી પ્રભાવ સે રોકે જાને કી શારિત અધિરોપિત કિયે જાને હેતુ લિયે ગયે પ્રશાસકીય નિર્ણય પર આયોગ કી સહમતિ દી જાતી હૈ।</p>	07/11/2020
36	107/2020/GS	27/10/2020	મહિલા એવં બાળ વિકાસ વિભાગ	<p>જિલા મહિલા એવં બાળ વિકાસ બિલાસપુર કાર્યાલય કા આકર્ષિક નિરીક્ષણ (વિભાગીય જાંચ) શ્રી સુરેશ સિંહ જિલા કાર્યક્રમ અધિકારી, બિલાસપુર।</p>	<p>આયોગ ને પ્રકરણ કે પરીક્ષણોપરાંત નિષ્કર્ષ દિયા કે શ્રી સુરેશ સિંહ, જિલા કાર્યક્રમ અધિકારી કે વિરુદ્ધ લગાયે ગયે આરોપોને મેં ગંભીર વિત્તીય અનિયમિતતા પાયે જાને કે કારણ છ.ગ. સિવિલ સેવા (વર્ગીકરણ, નિયંત્રણ તથા અપીલ) નિયમ 1966 કે નિયમ 10 કે તહેત દો વાર્ષિક વેતનવૃદ્ધિ સંચારી પ્રભાવ સે રોકે જાને કે પ્રશાસકીય નિર્ણય પર આયોગ કી સહમતિ દી જાતી હૈ।</p>	07/11/2020
37	106/2020/GS	22/10/2020	જલ સંસાધન વિભાગ	<p>સર્વ શ્રી એ.ગ્રાહમ કાર્યપાલન અભિયંતા એવં વાય.કે શર્મા, સહાયક અભિયંતા કે વિરુદ્ધ છ.ગ. સિવિલ સેવા (વર્ગીકરણ નિયંત્રણ તથા અપીલ) નિયમ 1966 કે તહેત એક વેતન વૃદ્ધિ અસંચારી પ્રભાવ સે રોકે જાને સંબંધી પ્રાવધિક નિર્ણય પર સહમતિ બાબત।</p>	<p>આયોગ ને પ્રકરણ કે પરીક્ષણોપરાત નિષ્કર્ષ દિયા કે શ્રી એ.ગ્રાહમ, તત્કા. કાર્યપાલન અભિયંતા, જલ સંસાધન સંભાગ, છુઝ્ખખાનાન એવં શ્રી વાય.કે.શર્મા, તત્કા. અનુવિભાગીય અધિકારી, પિપરિયા નહર ઉપસંભાગ ખૈરાગઢ દ્વારા અપને કાર્યો મેં લાપરવાહી બરતે જાને એવં છ.ગ. સિવિલ સેવા (આચરણ) નિયમ 1965 કે નિયમ-3 કે ઉપનિયમ 1, 2, 3 કા ઉલ્લંઘન કિયે જાને કે ફલસ્વરૂપ ઇનકે વિરુદ્ધ છ.ગ. સિવિલ સેવા (વર્ગીકરણ, નિયંત્રણ તથા અપીલ) નિયમ-1966 કે નિયમ 10(4) કે તહેત "એક-એક વાર્ષિક વેતનવૃદ્ધિ અસંચારી પ્રભાવ સે રોકે જાને" હેતુ લિયે ગયે પ્રશાસકીય નિર્ણય પર આયોગ કી સહમતિ દી જાતી હૈ।</p>	09/11/2020

38	80/2020/GS	05/09/2020	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	अनुशासनात्मक कार्यवाही विरुद्ध श्री अविनाश श्रीवास, प्रभारी सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला—बिलासपुर, छ.ग. द्वारा अपने कार्यों में लापरवाही बरते जाने एवं छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 (1) तथा (2) का उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-10(1) के तहत परिनिर्दा की शास्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	13/11/2020	
39	67/2015/GS	01/09/2020	गृह (जेल) विभाग	विभागीय जांच अपील प्रकरण—श्री जे.एल.मेश्राम, तत्कालीन उप जेल अधीक्षक, जिला जेल राजनांदगांव वर्तमान में उप जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल दुर्ग को पूर्व में दिये गये अभिमत (03 वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने हेतु अधिरोपित दण्ड) को यथावत रखे जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	12/11/2020	
40	113/2020/GS	29/10/2020	उच्च शिक्षा विभाग	विभागीय जांच प्रकरण—श्रीमती सरोज प्रसाद, गृह विज्ञान, शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, धमतरी।	आयोग ने निष्कर्ष दिया कि श्रीमती सरोज प्रसाद, गृह विज्ञान, शासकीय पी.जी.महाविद्यालय धमतरी द्वारा अपने कार्यों में उदासीनता बरते जाने एवं छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (4) के तहत एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	28/11/2020
41	127/2020/GS	01/12/2020	लोक निर्माण विभाग	श्री कुंवर लाल रंगारी, तत्का. अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उपसंभाग मददेड़, जिला बीजापुर के विरुद्ध दण्डादेश के संबंध में।	आयोग ने प्रकरण के परीक्षणोंपरात निष्कर्ष दिया कि “ श्री कुंवर लाल रंगारी, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उपसंभाग, मददेड़, सभाग बीजापुर द्वारा भ्रष्टाचार के प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि होने पर छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 10 (नौ) में प्रावधानित ‘सेवा से पदच्युत (Dismissal) करने’ की शास्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी लिये गये प्रशासकीय अनंतिम निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	28/12/2020

42	132/2020/GS	09/12/2020	વન વિભાગ	અનુશાસનાત્મક કાર્યવાહી – શ્રી આર. ડૉ. સાહૂ સેવાનિવૃત્ત સહાયક વન સંરક્ષક, તત્કાલીન પ્રભારી નારંગી ક્ષેત્ર ઇકાઈ, બિલાસપુર દ્વારા ઉક્ત અવધિ મેં કરાયે ગયે કાર્યોં કા મૌકે પર સત્યાપન કરને કા કાર્ય નહીં હોના પાયે જાને કે કારણ શાસન કો હુંઝ આર્થિક ક્ષતિ કુલ રાશિ રૂપયે 19,07,369/- કી વસૂલી ઉનકે દેય સ્વર્ત્તો સે કિયે જાને તથા સેવાનિવૃત્તિ કી તિથિ પર સ્વીકાર્ય પેશન સે 05 પ્રતિશત કી રાશિ, 03 વર્ષ કી અવધિ કે લિયે રોકે જાને કે પ્રકરણ પર આયોગ કી સહમતિ દી જાતી હૈ।	02/01/2021	
43	112/2020/GS	29/10/2020	ઉચ્ચ શિક્ષા વિભાગ	વિભાગીય જાંચ પ્રકરણ શ્રી રવિન્દ્ર નાથ મિશ્રા કી કીડાધિકારી, શા. મહાપ્રભુ વલ્લભચાર્ય મહાવિદ્યાલય મહાસંયુંદ કી ચાર વેતનવૃદ્ધિ સંચચી પ્રભાવ સે રોકે જાને વિરુદ્ધ અપીલ।	પ્રકરણ કા પરીક્ષણ કિયા ગયા। પરીક્ષણોપરાંત આયોગ ને નિષ્કર્ષ દિયા હૈ કી વિભાગ દ્વારા પ્રસ્તાવિત દંડ બહુત જ્યાદા હૈ। પ્રકરણ મેં શાસન કો કોઈ વિત્તીય હાનિ ભી નહીં હુંઝ હૈ। શાસકીય સેવકોની કો વેતનવૃદ્ધિ રોકે જાને કી શાસ્ત્ર દિયે જાને કી સ્થિતિ મેં નિયમિત વિભાગીય જાંચ આવશ્યક હૈ જો નહીં કિયા ગયા હૈ। શ્રી રવિન્દ્ર નાથ મિશ્રા કે વિરુદ્ધ અધિરોપિત દણ્ડ 04 વેતનવૃદ્ધિ અસંચચી પ્રભાવ કે સ્થાન પર 01 વેતનવૃદ્ધિ અસંચચી પ્રભાવ સે રોકે જાને પર આયોગ કી સહમતિ દી જાતી હૈ।	11/01/2021
44	142/2020/GS	17/12/2020	કૃષિ વિકાસ એંબ કિસાન કલ્યાણ તથા જૈવ પ્રોદ્યોગિકી વિભાગ	વિભાગીય જાંચ વિરુદ્ધ શ્રી પી. એન. સેંગર, તત્કાલીન ઉપ સંચાલક કૃષિ જિલા નારાયણપુર દ્વારા વિત્તીય વર્ષ 2009–10 કે લિયે નારાયણપુર જિલે કો આબદીટ રાશિ રૂપયે 86.36 લાખ મેં સે દિનાંક 19.01.2020 તક વ્યય નિરંક રહેને તથા કર્તવ્ય કે પ્રતિ ઉદાસીનતા એંબ ગંગીર અનિયમિતતા કિયે જાને કે કારણ છ.ગ. સિવિલ સેવા (વર્ગીકરણ, નિયંત્રણ તથા અપીલ) નિયમ 1966 કે નિયમ 10 (ચાર) કે તહેત દો વાર્ષિક વેતનવૃદ્ધિ અસંચચી પ્રભાવ સે રોકે કે પ્રસ્તાવ પર આયોગ કી સહમતિ દી જાતી હૈ।	12/01/2021	

45	134/2020/GS	14/12/2020	उच्च शिक्षा विभाग	अनुशासनात्मक कार्यवाही डॉ. एस. महापात्रा, सहायक प्राध्यापक।	आयोग ने प्रकरण के परीक्षणोंपरात निष्कर्ष दिया कि डॉ. एस.एस.महापात्रा, सहायक प्राध्यापक, आचार्य पथ श्री गृन्थ मुनि नाम साहेब, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा द्वारा अपने कार्यों में शासन के निर्देशों की अवहेलना करते हुए स्वीकृत सीट संख्या से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश देने संबंधी अनियमितता बरती गई। तूकि उक्त प्रकरण में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता नहीं पाई गई है, अतः विभाग द्वारा प्रस्तावित 02 वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्ड अधिक प्रतीत होता है। अतः डॉ. एस.एस.महापात्रा, सहायक प्राध्यापक के विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील)	20/01/2021
46	136/2020/GS	10/12/2020	स्कूल शिक्षा विभाग	विज्ञान सामग्री खरीदी के संबंध में षिकायत विरुद्ध – श्री बालाराम ध्रुव, तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, गरियाबंद।	आयोग ने प्रकरण के परीक्षणोंपरात निष्कर्ष दिया कि श्री एस.के.भारद्वाज, संभागीय संयुक्त संचालक (शिक्षा) रायपुर द्वारा अपने कार्यों में लापरवाही बरते जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम 10(4) के तहत “एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने” हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	20/01/2021
47	135/2020/GS	10/12/2020	स्कूल शिक्षा विभाग	अनुशासनात्मक कार्यवाही— श्री के.के.उद्देश्य, तत्का. वि.खं. शिक्षा अधिकारी, तखतपुर द्वारा छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 तथा छ.ग. भंडार कय नियम 2002 का उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम 10(4) के तहत “एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने” हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	20/01/2021	

48	133/2020/GS	14/12/2020	उच्च शिक्षा विभाग	<p>शासन के निदेशों की अवहेलना करने के लिए अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्य के विरुद्ध अनुकार्यवाही हेतु कारण बताओ।</p>	<p>आयोग ने प्रकरण के परीक्षणोपरांत निष्कर्ष दिया कि 1. डॉ. के.आर.ध्रुव, प्राचार्य, शासकीय भानुप्रताप पी.जी. महाविद्यालय, कांकेर, 2. डॉ.ऐ.आर.सी. जेम्स, प्राचार्य, शासकीय वीर सुरेन्द्र साय पी.जी.महाविद्यालय, गरियाबंद एवं 3. डॉ. ज्योति पाण्डेय, प्राचार्य, शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य पी.जी.महाविद्यालय, महासमुंद के विरुद्ध सचिव, उच्च विद्यालय द्वारा दिनांक 09.10.2020 को वीडियो कान्फ्रैंसिंग के माध्यम से प्रदेश के अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ बैठक में भाग नहीं लिये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध विभाग द्वारा प्रस्तावित दंड – छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम–1966 के नियम 10(4) के तहत “दो–दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने” हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय के स्थान पर “एक–एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के निर्णय पर सहमति दी जाती है।</p>	20/01/2021
49	161/2020/GS	26/12/2020	गृह पुलिस विभाग	<p>विभागीय जांच बाबत—श्री गोविन्द राम दीवान, सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक एवं श्री पी.एस.श्याम, सेवानिवृत्त निरीक्षक।</p>	<p>आयोग ने निष्कर्ष दिया कि श्री गोविन्द राम दीवान, सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक एवं श्री पी.एस.श्याम, सेवानिवृत्त निरीक्षक, द्वारा अपने कार्यों में लापरवाही बरते जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवाएं (एंशन) नियम, 1976 के नियम–9 के तहत एक प्रतिशत राशि एक वर्ष के लिये अस्थायी रूप से रोके जाने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।</p>	20/01/2021
50	46/2020/GS	25/06/2020	कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग	<p>बैठक के दौरान स्वेच्छाचारिता एवं लापरवाही बरतने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र। (श्री एल. एम. भगत उप संचालक कृषि जिला रायगढ़)</p>	<p>प्रकरण का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरांत आयोग ने निष्कर्ष दिया है कि श्री एल. एम. भगत उप संचालक कृषि जिला रायगढ़ को स्वेच्छाचारिता / लापरवाही बरतने के फलस्वरूप छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (चार) के अंतर्गत लघुशास्ति के तहत एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के प्रस्ताव पर आयोग की सहमति दी जाती है।</p>	21/01/2021

51	160/2020/GS	23/12/2020	गृह पुलिस विभाग	विभागीय जांच बाबत—श्री मुक्ति तिकीं तत्का. उप पुलिस अधीक्षक, जिला—धमतरी, हाल—सेवानिवृत्त, सहायक सेनानी 4थीं, वाहिनी छसबल माना रायपुर।	आयोग ने निष्कर्ष दिया कि श्री मुक्ति तिकीं, तत्का. उप पुलिस अधीक्षक, जिला धमतरी हाल—सेवानिवृत्त द्वारा छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3(1)(एक)(दो) के विपरीत कदाचरण किये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवाएं (पैशन) नियम, 1976 के नियम-9 के तहत अपचारी सेवक की “दो प्रतिशत पेंशन की राशि दो वर्षों तक अस्थायी रूप से रोके जाने” हेतु लिए गए प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	21/01/2021
52	159/2020/GS	24/12/2020	गृह पुलिस विभाग	विभागीय जांच—श्रीमती रश्मि नंदा, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी धमतरी तथा श्री राजेश कौशिक, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, बिलासपुर।	आयोग ने प्रकरण के परीक्षणोपरांत निष्कर्ष दिया कि श्रीमती रश्मि नंदा, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी धमतरी तथा श्री राजेश कौशिक, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, बिलासपुर द्वारा छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1965 के नियम 3 का उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम 10(4) के तहत “दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने” हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	22/01/2021
53	167/2020/GS	06/01/2021	सहकारिता विभाग	श्री आर. डी. कुल्हारा, तत्कालीन सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं महासमुंद के विरुद्ध शास्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।	प्रकरण का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरांत आयोग ने निष्कर्ष दिया है कि श्री आर. डी. कुल्हारा, तत्कालीन सहायक पंजीयक, प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं महासमुंद द्वारा वृहत्ताकार सहकारी समिति पिटियाझर के संचालक मंडल को भंग कर दिये जाने एवं आदिम जाति सेवा सहकारी समिति रायतुम के संचालक मंडल को श्री ललित चंद्रनाहू के पक्ष सुनने/अभ्यावेदन पर समुचित एवं युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने हेतु प्रस्तुत पत्र पर कार्यवाही नहीं करने के कारण उनके विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के तहत 01 वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से दण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु लिए गए प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	29/01/2021

54	162/2020/GS	16/12/2020	જલ સંસાધન વિભાગ	વિકાસખંડ માનપુર કી કોતારી નદી પર નાદિયા (નેડગાંબ) એનીકટ કે ક્ષતિગ્રસ્ત હોને કે કારણ કે શ્રી ઎સ.કે.ત્રિવેદી, તત્કા. અનુવિભાગીય અધિકારી, સેવાનિવૃત્ત કે વિરુદ્ધ એક વર્ષ કે હિતલાભ કે સમતુલ્ય રાશિ કી કટૌતી પેંશન / દેય સ્વત્વોને સે વસૂલ કિયે જાને કે નિર્ણય પર આયોગ કી સહમતિ બાબત્।	આયોગ ને નિષ્કર્ષ દિયા કી શ્રી ઎સ.કે.ત્રિવેદી, તત્કા. અનુવિભાગીય અધિકારી, સેવાનિવૃત્ત દ્વારા અપને કાર્યો મેં લાપરવાહી બરતે જાને કે ફલસ્વરૂપ ઇનકે વિરુદ્ધ છ.ગ. સિવિલ સેવાએં (પેંશન) નિયમ, 1976 કે નિયમ-9 કે તહત ઉર્ધે પ્રાપ્ત અંતિમ વાર્ષિક વેતનવૃદ્ધિ કે એક વર્ષ કે હિતલાભ કે સમતુલ્ય રાશિ કી કટૌતી પેંશન / દેય સ્વત્વોને સે વસૂલ કિયે જાને સંબંધી લિયે ગયે પ્રાવધિક નિર્ણય પર આયોગ કી સહમતિ દી જાતી હૈ।	30/01/2021
55	143/2020/GS	16/12/2020	જલ સંસાધન વિભાગ	આદિવાસી વિકાસખંડ માનપુર કે અંતર્ગત નિર્માણાધીન ઔંધી જલાશય નહર લાઈનિંગ કે નિર્માણ મેં ઉદાસીનતા બરતને કે કારણ શ્રી ઎સ.કે.સહારે, કાર્યપાલન અભિયંતા કે વિરુદ્ધ એક વેતનવૃદ્ધિ અસંચયી પ્રભાવ સે રોકે જાને કે નિર્ણય પર આયોગ કી સહમતિ બાબત્।	આયોગ ને પ્રકરણ કે પરીક્ષણોપરાત નિષ્કર્ષ દિયા કી શ્રી ઎સ.કે. સહારે, કાર્યપાલન અભિયંતા દ્વારા આદિવાસી વિકાસખંડ માનપુર કે અંતર્ગત નિર્માણાધીન ઔંધી જલાશય નહર લાઈનિંગ કે નિર્માણ મેં ઉદાસીનતા બરતને કે કારણ ઇનકે વિરુદ્ધ છ.ગ. સિવિલ સેવા (વર્ગિકરણ, નિયંત્રણ તથા અપીલ) નિયમ, 1966 કે નિયમ 10(4) કે તહત એક વાર્ષિક વેતનવૃદ્ધિ અસંચયી પ્રભાવ સે રોકે જાને કી શાસ્ત્ર અધિરોપિત કિયે જાને હેતુ લિયે ગયે પ્રશાસકીય નિર્ણય પર આયોગ કી સહમતિ દી જાતી હૈ।	29/01/2021
56	171/2020/GS	18/01/2021	લોક નિર્માણ વિભાગ	ખડગવાં—ગેજી માર્ગ પર ગેજ નદી પર પુલ નિર્માણ કી જાંચ કે સંબંધ મેં। વિભાગીય જાંચ વિરુદ્ધ શ્રી ઎સ.એલ.મરકામ, કાર્યપાલન અભિયંતા શ્રી પી.એસ.ચંદેલ, કાર્યપાલન અભિયંતા, શ્રી ટી.એલ.ઠાકુર, અનુવિભાગીય અધિકારી તથા શ્રી એલ.આર.છતરે, ઉપ અભિયંતા।	આયોગ ને પ્રકરણ કે પરીક્ષણોપરાત નિષ્કર્ષ દિયા કી શ્રી એસ.એલ.મરકામ, કાર્યપાલન અભિયંતા, શ્રી પી.એસ.ચંદેલ, કાર્યપાલન અભિયંતા, શ્રી ટી.એલ.ઠાકુર, અનુવિભાગીય અધિકારી તથા શ્રી એલ.આર.છતરે, ઉપઅભિયંતા દ્વારા ખડગવાં—ગેજી માર્ગ પર ગેજ નદી પર પુલ નિર્માણ કાર્ય મેં અનિયમિતતા બરતે જાને કે ફલસ્વરૂપ ઇનકે વિરુદ્ધ છ.ગ. સિવિલ સેવા (વર્ગિકરણ, નિયંત્રણ તથા અપીલ) નિયમ, 1966 કે નિયમ 10(5) કે તહત દો-દો વાર્ષિક વેતનવૃદ્ધિ સંચયી પ્રભાવ સે રોકે જાને કી શાસ્ત્ર અધિરોપિત કિયે જાને હેતુ લિયે ગયે અનન્તિમ પ્રશાસકીય નિર્ણય પર આયોગ કી સહમતિ દી જાતી હૈ।	04/02/2021
57	14/2020/GS	11/01/2021	ગૃહ પુલિસ વિભાગ	વિભાગીય જાંચ બાબત્—શ્રી આર. એસ.મારાવી, તત્કા. થાના પ્રભારી કુસમી હાલ સેવાનિવૃત્ત પુલિસ અનુવિભાગીય અધિકારી કુસમી જિલા બલરામપુર-રામાનુજગંજ।	આયોગ ને નિષ્કર્ષ દિયા કી શ્રી આર. એસ.મારાવી, તત્કા. થાના પ્રભારી કુસમી હાલ સેવાનિવૃત્ત પુલિસ અનુવિભાગીય અધિકારી કુસમી જિલા બલરામપુર-રામાનુજગંજ એક વર્ષ કે હિતલાભ કે સમતુલ્ય રાશિ એક વર્ષ કે હિતલાભ કે સમતુલ્ય રાશિ કી કટૌતી પેંશન / દેય સ્વત્વોને સે વસૂલ કિયે જાને કે ફલસ્વરૂપ ઇનકે વિરુદ્ધ છ.ગ. સિવિલ સેવાએં (પેંશન) નિયમ, 1976 કે નિયમ-9(1) કે તહત પેંશન સે એક પ્રતિશત રાશિ એક વર્ષ કે લિયે અરસ્થાવી રૂપ સે રોકે જાને હેતુ લિયે ગયે પ્રશાસકીય નિર્ણય પર આયોગ કી સહમતિ દી જાતી હૈ।	11/02/2021

58	168/2020/GS	04/01/2021	उच्च शिक्षा विभाग	विभागीय जांच प्रकरण—डॉ. चंद्रकिशोर चंद्रवंशी, सहायक प्राध्यापक, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय अंबिकापुर, जिला—सरगुजा।	आयोग ने निष्कर्ष दिया कि डॉ० चंद्रकिशोर चंद्रवंशी, सहायक प्राध्यापक, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय अंबिकापुर, जिला—सरगुजा के विरुद्ध संरित विभागीय जांच प्रमाणित पाये जाने के कारण छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अंतर्गत सेवा से पृथक करने की दीर्घ शास्ति अधिरोपित करने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	12/02/2021
59	175/2020/GS	03/02/2021	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	अनुशासनात्मक कार्यवाही श्री परमेश्वर ईङ्गाचे, प्राचार्य वर्ग 02 एवं श्री टी. एस. तंवर, प्राचार्य वर्ग 02.	प्रकरण का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरांत आयोग ने निष्कर्ष दिया है कि अपचारी अधिकारी श्री परमेश्वर ईङ्गाचे एवं श्री टी. एस. तंवर, प्राचार्य वर्ग 02 का कृत्य कोई गंभीर प्रकृति का नहीं है। उनको दो—दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोका जाना उचित नहीं है। दोनों अपचारी अधिकारी अ.ज. जा. संवर्ग से हैं, उन्हें चेतावनी देते हुये उनकी सजा माफ किये जाने एवं उनकी पदोन्नति आदेश जारी किये जाने के निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	24/02/2021
60	181/2020/GS	11/02/2021	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	अनुशासनात्मक कार्यवाही श्री एस. के. भार्व, जिला रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया।	प्रकरण का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरांत आयोग ने निष्कर्ष दिया है कि श्री एस. के. भार्व, जिला रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया के विरुद्ध दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के प्रस्ताव पर आयोग की सहमति दी जाती है।	03/03/2021
61	184/2020/GS	18/02/2021	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	अनुशासनात्मक कार्यवाही श्री जे. एस. सिकरवार, प्राचार्य वर्ग 02 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, सड़क रायपुर।	प्रकरण का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरांत आयोग ने निष्कर्ष दिया है कि श्री जे. एस. सिकरवार, प्राचार्य वर्ग 02 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, सड़क रायपुर के विरुद्ध दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के प्रस्ताव पर आयोग की सहमति दी जाती है।	03/03/2021
62	172/2017/GS	08/02/2021	स्कूल शिक्षा विभाग	डल्यू. पी. (एस.) कमांक 1417/2016 द्वारा श्रीमती विद्यादेवी शर्मा विरुद्ध छ.ग. शासन एवं अन्य।	आयोग ने प्रकरण के परीक्षणोपरांत निष्कर्ष दिया कि श्री दिनेश कुमार कौशिक, जिला शिक्षा अधिकारी (उप संचालक संवर्ग) बिलासपुर द्वारा छ.ग. सिविल सेवा (आवरण) नियम 1965 में निहित प्रावधानों के विपरीत कृत्य किये जाने के फलस्वरूप छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10(4) के तहत उनकी “दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने” हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	08/03/2021

63	177/2020/GS	08/02/2021	સ્કૂલ શિક્ષા વિમાગ	શિકાયત વિરુદ્ધ— શ્રી બી.કે. જોશી, તત્કાલીન વિકાસખંડ શિક્ષા અધિકારી, ખેરાગઢ।	આયોગ ને પ્રકરણ કે પરીક્ષણોપરાત નિષ્કર્ષ દિયા કિ શ્રી બી.કે.જોશી, તત્કાલીન વિકાસખંડ શિક્ષા અધિકારી, ખેરાગઢ દ્વારા ગંભીર કદાચારણ કિયે જાને કે ફલસ્વરૂપ ઇનકો વિરુદ્ધ છ.ગ. સિવિલ સેવા (વર્ગીકરણ, નિયંત્રણ તથા અપીલ) નિયમ, 1966 કે નિયમ 10(4) કે તહત ‘એક વેતનવૃદ્ધિ અસંચયી પ્રભાવ સે રોકે જાને’ હેતુ લિયે ગયે પ્રશાસકીય નિર્ણય પર આયોગ કી સહમતિ દી જાતી હૈ।	08/03/2021
64	187/2020/GS	23/02/2021	ગૃહ પુલિસ વિમાગ	વિભાગીય જાંચ બાબત— શ્રી રાજેન્દ્ર સિંહ પરિહાર, તત્કા. નિરીક્ષક થાના સરકંડા હાલ—અનુવિભાગીય અધિકારી પુલિસ જશપુર જિલા જશપુર।	આયોગ ને પ્રકરણ કે પરીક્ષણોપરાત નિષ્કર્ષ દિયા કિ શ્રી રાજેન્દ્ર સિંહ પરિહાર, તત્કા. નિરીક્ષક થાના સરકંડા, હાલ-અનુવિભાગીય અધિકારી, પુલિસ જશપુર, જિલા—જશપુર દ્વારા અપને કાર્યો મેં સ્વેચ્છાચારિતા એવં ઘોર લાપરવાહી બરતને કે ફલસ્વરૂપ ઇનકો વિરુદ્ધ છ.ગ. સિવિલ સેવા (વર્ગીકરણ, નિયંત્રણ તથા અપીલ) નિયમ, 1966 કે નિયમ 10(5) કે તહત ઉનકી ‘દો વેતનવૃદ્ધિ સંચયી પ્રભાવ સે રોકે જાને’ હેતુ લિયે ગયે પ્રશાસકીય નિર્ણય પર આયોગ કી સહમતિ દી જાતી હૈ।	18/03/2021
65	52/2020/GS	27/06/2020	મછલીપાલન વિમાગ	વિભાગીય જાંચ વિરુદ્ધ શ્રી એસ. કે. અહિરવાર (તત્કાલીન) સહાયક સંચાલક, મછલીપાલન જિલા કાંકેર।	પ્રકરણ કા પરીક્ષણ કિયા ગયા। પરીક્ષણોપરાતાં આયોગ ને નિષ્કર્ષ દિયા હૈ કિ વિભાગીય જાંચ અપચારી અધિકારી શ્રી અહિરવાર તત્કા. સહાયક સંચાલક મત્સ્ય પાલન કે વિરુદ્ધ શાસન કે આદેશ દિનાંક 08.07.2016 દ્વારા પ્રારંભ કી ગઈ હૈ। વિભાગીય અધિકારી શ્રી ત્રિપાઠી દ્વારા લગભગ 2 વર્ષ તક કેવળ પત્રાચાર કિયા ગયા તથા દિનાંક 28.05.2018 કો (એક દિન મેં) વિભાગીય જાંચ પૂર્ણ કર દિયા ગયા હૈ। વિભાગીય જાંચ મેં અભિયોજન સાક્ષ્યોની બયાન દર્જ નહીં કિયા ગયા હૈ, અપચારી અધિકારી કો પ્રતિ પરીક્ષણ કા અવસર નહીં દિયા ગયા હૈ તથા પ્રાર્થિક જાંચ કે દૌરાન લિયે ગયે બયાનોની હી અભિયોજન સાક્ષ્યોની બયાન કે રૂપ મેં માનકર વિભાગીય જાંચ કો પૂર્ણ કિયા ગયા હૈ। ઇસ પ્રકાર અપચારી અધિકારી કો પ્રાકૃતિક ન્યાય કે સિદ્ધાંત કે અનુરૂપ પર્યાપ્ત અવસર નહીં દિયા ગયા હૈ। ઇસ પ્રકાર વિભાગીય જાંચ દૂષિત હો ગયા હૈ। દૂષિત વિભાગીય જાંચ પ્રતિવેદન કે આધાર પર કિસી અપચારી અધિકારી કો પ્રાકૃતિક ન્યાય કે સિદ્ધાંત કે અનુરૂપ પર્યાપ્ત અવસર નહીં દિયા ગયા હૈ। ઇસ પ્રકાર વિભાગીય જાંચ દૂષિત હો ગયા હૈ। દૂષિત વિભાગીય જાંચ પ્રતિવેદન કે આધાર પર કિસી અપચારી અધિકારી કો દણ દિયા જાના ન્યાય સંગત નહીં હોગા। ઇસી પ્રકાર રૂપયે 6.00 લાખ કી વસૂલી સંબંધી દસ્તાવેજ ભી કિસી અભિયોજન સાક્ષ્યોની દ્વારા પ્રમાણિત નહીં હૈ। અતે: વસૂલી ભી માન્ય કિયે જાને યોગ્ય નહીં હૈ।	18/03/2021

66	193/2020/GS	03/03/2021	पशुधन विकास विभाग	विभागीय जांच विरुद्ध :— डॉ. अनिल कुमार सिंह, पशु चिकित्सा, सहायक शल्यज्ञ द्वारा पशु चिकित्सालय रत्ननगर, जिला—बिलासपुर के प्रभार अवधि में की गयी अनियमितता के कारण।	प्रकरण का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरांत आयोग ने निष्कर्ष दिया है कि डॉ. अनिल कुमार सिंह, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के उक्त कृत्य के कारण छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम, 10 अंतर्गत लघुशास्ति “परिनिन्दा” की शास्ति अधिरोपित किये जाने के प्रस्ताव पर आयोग की सहमति दी जाती है।	19/03/2021
67	140/2018/GS	04/03/2021	गृह जेल विभाग	विभागीय जांच— श्री जे.एल. मेशाम, उप जेल अधीक्षक (जेल अधीक्षक, चालू प्रभार) जिला जेल राजनांदगांव के विरुद्ध विभागीय आदेश दिनांक 15.11.2018 द्वारा 01 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की अधिरोपित शास्ति को यथावत रखें जाने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	आयोग ने निष्कर्ष दिया कि श्री जे.एल. मेशाम, उप जेल अधीक्षक, (जेल अधीक्षक, चालू प्रभार) जिला जेल राजनांदगांव के विरुद्ध विभागीय आदेश दिनांक 15.11.2018 द्वारा 01 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की अधिरोपित शास्ति को यथावत रखें जाने हेतु लिये गये प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	24/03/2021
68	198/2020/GS	26/02/2021	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	अनुशासनात्मक कार्यवाही श्री एस. पी. त्रिपाठी, उप संचालक जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, अंबिकापुर।	प्रकरण का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरांत आयोग ने निष्कर्ष दिया है कि श्री एस. पी. त्रिपाठी को बिना अवकाश स्वीकृति कराये अवकाश पर प्रस्थान नहीं करना था और जब तब अवकाश स्वीकृत नहीं हो जाता, तब तक उहें वेतन आहरण नहीं करना था। उक्त तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये श्री त्रिपाठी की एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग की सहमति दी जाती है।	26/03/2021
69	197/2020/GS	09/03/2021	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	श्री एस.डी.बंजारे, तत्का. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मैनपुर के द्वारा अनियमितता करने वाले।	आयोग ने प्रकरण के परीक्षणोपरांत निष्कर्ष दिया कि श्री एस.डी.बंजारे, तत्का. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मैनपुर के विरुद्ध अधिरोपित आरोप सिद्ध नहीं पाये जाने के कारण छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10(4) के तहत उनकी ‘एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने’ के प्रशासकीय निर्णय पर आयोग सहमत नहीं है।	31/03/2021

परिशिष्ट - आठ

मांग संख्या 01, लेखा शीर्ष 2051 लोक सेवा आयोग, (102) राज्य लोक सेवा आयोग, (3689) राज्य लोक सेवा आयोग  
 (आयोजनेतर) वित्तीय वर्ष 2020-21 मह 01.04.2020 से 31.03.2021 तक व्यय एवं समर्पण

आयोजना/आयोजनेतर/दत्तमत/भारित

(राशि रूपयों में)

बजट शीर्ष का विस्तृत विवरण	वर्ष 2020-21 के लिये बजट			वर्ष के दैरान व्यय	कुल योगा (8)-(9)	वर्ष 2020-21 के दैरान कुल व्यय	कुल योगा (10)-(11)	बजट राशि	समर्पण के कारण एवं अनुचितता
	मूल बजट प्रवाहान	थम अनुपूरक	द्वितीय अनुपूरक		(6) + (7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
#01 वेतन भत्ते, आदि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
001 वेतन	7,98,00,000	-	-	-	7,98,00,000	-	7,98,00,000	4,64,72,755	3,33,27,245
003 महगाई	1,35,66,000	-	-	-	1,35,66,000	-	1,35,66,000	57,38,393	78,27,607
भत्ता	1,00,00,000	-	-	-	1,00,00,000	-	1,00,00,000	37,16,386	62,83,614
014 अन्य भत्ते	1,00,00,000	-	-	-	1,00,00,000	-	1,00,00,000	10,00,000	5,93,035
015 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	10,00,000	-	-	-	10,00,000	-	10,00,000	4,06,965	4,06,965
020 तौहित अधिकार	6,00,000	-	-	-	6,00,000	-	6,00,000	2,32,000	3,68,000
अधिकार	50,000	-	-	-	50,000	-	50,000	-	-
अधिकार	10,43,66,000	-	-	-	10,43,66,000	0	10,43,66,000	5,65,20,569	4,78,45,431
शार्ट #01									

#02— मालदूरी																				
005—देनिक वेतनभेगी	16,50,000				16,50,000			16,50,000		16,50,000		13,57,655		2,92,345		2,92,345				
योग उद्देश्य शीर्ष #02	16,50,000	-	-	-	16,50,000	-	-	16,50,000	-	16,50,000		13,57,655		2,92,345		2,92,345				
#03— यात्रा																				
भत्ता																				
001 यात्रा भत्ता दौरे पर आदि	6,00,000	-	-	-	6,00,000	-	-	6,00,000	-	6,00,000		1,200		5,98,800		5,98,800				
002 यात्रा भत्ता खाद्यान्तर	1,00,000	-	-	-	1,00,000	-	-	1,00,000	-	1,00,000		4,000		96,000		96,000				
006 अवकाश यात्रा सुविधा	4,00,000	-	-	-	4,00,000	-	-	4,00,000	-	4,00,000		1,03,502		2,96,498		2,96,498				
योग उद्देश्य शीर्ष #03	11,00,000	-	-	-	11,00,000	-	-	11,00,000	-	11,00,000		1,08,702		9,91,298		9,91,298				
#04— कार्यालय व्यय																				
001 डाकतार व्यय	50,000	-	-	-	50,000	-	-	50,000	-	50,000		0		50,000		50,000				
002 दूरध्याप व्यय	8,00,000	-	-	-	8,00,000	-	-	8,00,000	-	8,00,000		2,64,371		5,35,629		5,35,629				
003 फर्नीचर एवं कार्यालय. उप.	7,00,000	-	-	-	7,00,000	-	-	7,00,000	-	7,00,000		4,91,756		2,08,244		2,08,244				
004 पुस्तक पत्र त्रिमि. प्रतिक्रियाएँ	3,00,000	-	-	-	3,00,000	-	-	3,00,000	-	3,00,000		57,016		2,42,984		2,42,984				

005 विजली एवं जल प्रभार	31,00,000	-	-	31,00,000	-	31,00,000	5,92,120	25,07,880	25,07,880
									आवश्यकतानुसार खर्च किया गया (निया परिपुर में आयोग काग़जलय के भवन में मीटिंग लगाने हेतु अधिक राशि का प्रधान लिया गया था एन.आर.डी.ए. द्वारा स्वयं मीटिंग लगाये जाने के कारण राशि सम्पर्क किया गया )
006 वर्दियां	2,00,000	-	-	2,00,000	-	2,00,000	65,749	1,34,251	1,34,251
007 लेखन समझौते की छपाई	9,00,000	-	-	9,00,000	-	9,00,000	6,30,508	2,69,492	2,69,492
008 अन्य आक्रितिक व्यय	10,00,000	-	-	10,00,000	-	10,00,000	5,96,890	4,03,110	4,03,110
009 सुचना प्रौद्योगिकी	3,00,000	-	-	3,00,000	-	3,00,000	1,98,219	1,01,781	1,01,781
011 पेट्रोल तेल आदि	16,00,000	-	-	16,00,000	-	16,00,000	8,48,332	7,51,668	7,51,668
012 आविष्कार पर व्यय	1,10,000			1,10,000		1,10,000	63,055	46,945	46,945

योग उद्देश्य #04	90,60,000	-	-	90,60,000	-	90,60,000	-	90,60,000	38,08,016	52,51,984	52,51,984
<b>#05— प्रशिक्षण</b>											
001 अधिकारी/ कमचारिया का प्रशिक्षण	3,00,000			3,00,000		3,00,000	-	3,00,000	0	3,00,000	3,00,000
योग उद्देश्य #05	3,00,000	-	-	3,00,000	-	3,00,000	-	3,00,000	0	3,00,000	3,00,000
<b>#10— व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगित्यां</b>											
001 परीक्षक मानदेश	1,50,00,000	-	-	1,50,00,000		1,50,00,000	-	1,50,00,000	1,00,00,000	50,00,000	50,00,000
002 परीक्षा व्यय	9,00,00,000	-	-	9,00,00,000		9,00,00,000	-	9,00,00,000	8,00,00,000	1,00,00,000	1,00,00,000
005 प्राइवेट अधिकारीको फैस	25,00,000	-	-	25,00,000	-	25,00,000	-	25,00,000	17,00,000	8,00,000	8,00,000
010 सुरक्षा व्यय	8,00,000	-	-	8,00,000	-	8,00,000	-	8,00,000	5,68,308	2,31,692	2,31,692
योग उद्देश्य #10	10,82,00,000	-	-	10,82,00,000	-	10,82,00,000	-	10,82,00,000	9,22,68,308	1,60,31,692	1,60,31,692
<b>#24— अनुसन्धान कार्य</b>											
001 मोटर गाडी	6,00,000	-	-	6,00,000	-	6,00,000	-	6,00,000	1,95,026	4,04,974	4,04,974
योग उद्देश्य #24	6,00,000	-	-	6,00,000	-	6,00,000	-	6,00,000	1,95,026	4,04,974	4,04,974
<b>#34— वाहनों का क्रय</b>											
001 प्रतिश्वापन	7,00,000	-	-	7,00,000	-	7,00,000	-	7,00,000	0	7,00,000	7,00,000
योग उद्देश्य #34	7,00,000	-	-	7,00,000	-	7,00,000	-	7,00,000	0	7,00,000	7,00,000
<b>#89— परिवहन व्यय</b>											
परिवहन व्यय	4,50,000	-	-	4,50,000	-	4,50,000	-	4,50,000	13,496	4,36,504	4,36,504
योग उद्देश्य #34	4,50,000	-	-	4,50,000	-	4,50,000	-	4,50,000	13,496	4,36,504	4,36,504
महायोग	22,65,26,000	0	0	22,65,26,000	0	22,65,26,000	0	22,65,26,000	15,42,71,772	7,22,54,228	7,22,54,228

टीप :- कोरोना वायरस (कोविड-19) एवं वित्त नियंत्रण 10 / 2020 क्रमांक 36 / 04-04697 / वित्त / ब-4 / 2020, दिनांक 11.05.2020 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राप्त बजट आवंटन में से कुल 70 प्रतिशत खर्च किया गया है।





**छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग**  
Website : [www.psc.cg.gov.in](http://www.psc.cg.gov.in)